भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(बंधपत्रों का निर्गमन और प्रबंध)

विनियम 1990

सं. 31.1(सी) एडी. बांड/सामान्य विनियम.—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निदेशक बोर्ड भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना: (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बंधपत्रों का निर्गमन और प्रबंध) विनियम, 1990 है।

(2) ये विनियम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन लघु उद्योग बैंक द्वारा पुरोधृत और विक्रय किए गए बंधपत्रों को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं: इन विनियमों में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो—

(क) "अधिनियम" से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 अभिप्रेत है,

(ख) "बंधपत्रों" से अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन लघु उद्योग बैंक द्वारा पुरोधृत या विक्रय किए गए बंधपत्र अभिप्रेत हैं,

(ग) "लघु उद्योग बैंक" से अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अभिप्रेत है,

(घ) "विरूपित बंधपत्र" से वह बंधपत्र अभिप्रेत है जिसके महत्वपूर्ण भाग अपठनीय और अपहृत हो गए हैं और बंधपत्र के महत्वपूर्ण भाग वे होते हैं जहां:

(1) बंधपत्र की संख्या, निर्गमन, जिससे वह संबंधित है, बंधपत्र का अंकित मूल्य या ब्याज का संदाय अभिनिश्चित किया गया है, या

(2) पृष्ठांकन या पाने वाले का नाम दिखा है, या

(3) नवीकरण रसीद या अंतरण ज्ञापन दिया गया है।

(ङ) "प्ररूप" से इन विनियमों की अनुसूची में दिया गया प्ररूप अभिप्रेत है।

(च) "खो गया बंधपत्र" से वह बंधपत्र अभिप्रेत है जो वास्तव में खो गया है और वह बंधपत्र अभिप्रेत नहीं होगा जो दावेदार के प्रतिकूल किसी व्यक्ति के कब्जे में है,

(छ) "विकृत बंधपत्र" से वह बंधपत्र अभिप्रेत है जिसके महत्वपूर्ण भाग विकृत, फटे या नुकसानग्रस्त हैं,

(ज) "निर्गमन कार्यालय" से लघु उद्योग बैंक का वह कार्यालय अभिप्रेत है जिसकी बहियों में बंधपत्र रजिस्ट्रीकृत किया गया है या रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा,

(झ) "विहित अधिकारी" से लघु उद्योग बैंक का महाप्रबंधक या ऐसे अधिकारी अभिप्रेत हैं जो लघु उद्योग बैंक का निदेशक बोर्ड द्वारा विनियम 11, 12, 13, 15, 17, 19, और 20 के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत किए जाएं;—

(ञ) स्टाक प्रमाण पत्र से विनियम 3 के अधीन जारी किया गया स्टाक प्रमाणपत्र अभिप्रेत है।

IndiaCode

3. बंधपत्रों का रूप और उनके हस्तांतरण का ढंग आदि—(1) बंधपत्र

(क) किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार संदेय वचनपत्र के रूप में, या

(ख) लघु उद्योग बैंक की बहियों में रजिस्ट्रीकृत स्टाक के रूप में जिनके लिए स्टाक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, निर्गमित किए जाएंगे।

(2) (क) वचनपत्र के रूप में निर्गमित बंधपत्र आदेशानुसार, संदेय वचनपत्र की तरह पृष्ठांकन और परिदान द्वारा अंतरणीय होगा।

(ख) वचनपत्र के रूप में जारी किए गए बंधपत्र पर कोई लेख, पृष्ठांकन के उद्देश्य के लिए विधिमान्य नहीं होगा, यदि ऐसा लेख बंधपत्र द्वारा अभिहित रकम के केवल एक भाग का अंतरण करने के लिए तात्पर्यित है ।

(3) स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गमित और लघु उद्योग बैंक की बहियों में रजिस्ट्रीकृत बंधपत्र प्ररूप 5 में अंतरण के दस्तावेज का निष्पादन करके या तो पूर्णतः या अंशतः अंतरणीय होगा ऐसे मामले में अंतरक स्टाक के रूप में, जिससे अंतरण संबंधित है, निर्गमित बंधपत्रों का धारक समझा जाएगा जब तक कि अंतरिती का नाम लघु उद्योग बैंक द्वारा रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता है ।

(3) (क) इसमें प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी लघु उद्योग बैंक बंधपत्रों के हकदार व्यक्ति के अनुरोध पर बंधपत्रों के हकदार व्यक्ति के नाम में लघु उद्योग बैंक द्वारा रखे जाने वाले खाते में एक प्रविष्टि के रूप में बंधपत्र निर्गमित करेगा।

(ख) बंधपत्र या तो बंधपत्रों की प्रतिभूति के समय आरंभ में लघु उद्योग बैंक की लेखा-बहियों में प्रविष्टि के रूप में या बाद में वचन पत्र या स्टाक के रूप में निर्गमित बंधपत्रों के संपरिवर्तन द्वारा निर्गमित किए जा सकेंगे।

(ग) यदि कोई बंधपत्र पहले ही वचनपत्र के रूप में निर्गमित किया जा चुका है तो लघु उद्योग बैंक में किसी खाते में प्रविष्टि के रूप में उसको धारण करने का इच्छुक बंधपत्र धारक प्ररूप XI में अध्यपेक्षा करेगा और लघु उद्योग बैंक की बहियों में किसी खाते में प्रविष्टि के रूप में बंधपत्र को धारण करने के लिए लघु उद्योग बैंक के पक्ष में सम्यक रूप में पृष्ठांकित बंधपत्र का अभ्यर्पण करेगा।

(घ) यदि बंधपत्र स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गमित किया गया है तो धारक बंधपत्र का लघु उद्योग बैंक के पक्ष में अंतरण इस अनुरोध के साथ करेगा कि उसे बंधपत्र धारक के नाम में लघु उद्योग बैंक द्वारा रखे जाने वाले खाते में प्रविष्टि के रूप में धारण किया जाए,

(ङ) लघु उद्योग बैंक द्वारा रखे गए खाते में प्रविष्टि के रूप में बंधपत्रों को धारण करने वाला कोई व्यक्ति प्ररूप XII में आवेदन करके बंधपत्रों को वचनपत्र या स्टाक प्रमाणपत्र के रूप या अंतरित या संपरिवर्तित करा सकेगा।

(च) लघु उद्योग बैंक की बहियों में खाते में प्रविष्टि के रूप में बंधपत्र निर्गमित करने के लिए या पहले ही निर्गमित बंधपत्रों को वचनपत्र या लघु उद्योग बैंक की बहियों में प्रविष्टि के रूप में स्टाक में संपरिवर्तित करने के लिए या उन्हें बहियों में प्रविष्टि के रूप में स्टाक को या वचनपत्र को अंतरित या संपरिवर्तित करने के लिए कोई फीस प्रभार्य नहीं है।

(छ) लघु उद्योग बैंक की बहियों में प्रविष्टि के रूप में निर्गमित या धारित बंधपत्र प्ररूप XIII में अंतरण लिखत का निष्पादन करके अंतरणीय होंगे। ऐसे मामलों में अंतरक ऐसे बंधपत्रों का, जिनके संबंध में अंतरण है, धारक ऐसे समय तक समझा जाएगा जब तक अंतरिती का नाम लघु उद्योग बैंक में प्रविष्टि नहीं कर दिया जाता है।

(4) (क) बंधपत्र लघु उद्योग विकास बैंक के प्रबंध निदेशक के या उसकी अनुपस्थिति में किसी कार्यपालक निदेशक और/या उसके महाप्रबंधक के हस्ताक्षर से निर्गमित किया जाएगा जो मुद्रित, उत्कीर्ण, लिथो किया हुआ या लघु उद्योग बैंक के निदेशानुसार किसी दूसरी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा छपा होगा।

(ख) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्ण, लिथो किया हुआ या अन्यथा छपा हुआ हस्ताक्षर उसी प्रकार विधिमान्य होगा मानो वह हस्ताक्षरकर्ता के अपने ही उचित हस्तलेख में किया गया है।

(5) वचनपत्र के रूप में किसी बंधपत्र का कोई भी पृष्ठांकन या स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में किसी बंधपत्र के मामले में अंतरण की कोई लिखत तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक वह धारक के या सम्यक रूप से गठित उसके अटर्नी या प्रतिनिधि के हस्ताक्षर से न की गई हो, ऐसी लिखत किसी बंधपत्र की दशा में स्वयं बंधपत्र के पृष्ठ पर वचनपत्र के रूप में और किसी स्टाक प्रमाणपत्र की दशा में अंतरण की लिखत पर लिखी जाएगी।

4. न्यास मान्यता प्राप्त नहीं है :—(क) लघु उद्योग बैंक को किसी न्यास या किसी बंधपत्र की बाबत धारक के ऊपर पूर्ण अधिकार से भिन्न अधिकार को, भले ही उसको उसकी सूचना हो, मान्यता देने के लिए बाध्य या विवश नहीं किया जाएगा।

(ख) उप विनियम (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लघु उद्योग बैंक, अनुग्रह के तौर पर और अपने किसी दायित्व के बिना, स्टाक के रूप में निर्गमित किसी बंधपत्र के धारक द्वारा, स्टाक के ब्याज पर या परिपक्वता मूल्य के संदाय या स्टाक के अंतरण या उसके संबंध में ऐसी बातों पर निदेश जिन्हें लघु उद्योग बैंक उचित समझे, अपनी बहियों में अभिलिखित कर सकेगा।

5. न्यासियों और पदधारकों द्वारा स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गमित बंधपत्र धारण करने के लिए उपबन्ध : (1) कोई पदधारक स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में कोई बंधपत्र—

(क) अपने वैयक्तिक नाम में, जिसका लघु उद्योग बैंक की बहियों और स्टाक प्रमाणपत्र में न्यासी के रूप में वर्णन है, उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट न्यास के न्यासी के रूप में या किसी ऐसी अर्हता के बिना न्यासी के रूप में, या

(ख) अपने पद के नाम से,

धारण कर सकेगा।

(2) उस व्यक्ति द्वारा जिसके नाम में बंधपत्र है, लघु उद्योग बैंक द्वारा अपेक्षित प्ररूपों में लघु उद्योग बैंक को किए गए लिखित आवेदन पर और बंधपत्र के अभ्यर्पण पर लघु उद्योग बैंक—

(क) उसे अपनी बहियों में किसी विनिर्दिष्ट न्यास के न्यासी के रूप में या किसी न्यास के विनिर्देश के बिना न्यासी के रूप में प्रविष्ट कर सकेगा और यथास्थिति, न्यास के विनिर्देश के साथ या विनिर्देश के बिना, न्यासी के रूप में उल्लिखित उसके नाम में स्टाक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा, या

(ख) उसे उसके पद नाम से स्टाक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और उसे अपनी बहियों में, आवेदक के अनुरोध के अनुसार उसके पद नाम से स्टाक के धारक के रूप में उल्लिखित करते हुए प्रविष्ट कर सकेगा, परन्तु यह तब जब --

(i) उक्त अनुरोध इस विनियम के उप विनियम (1) के उपबन्धों के अनुरूप है,

(ii) उप विनियम (7) के निबंधनों के अनुसार लघु उद्योग बैंक द्वारा अपेक्षित आवश्यक साक्ष्य पेश कर दिया गया है और

(iii) यदि, बंधपत्र वचनपत्र के रूप में है तो वह लघु उद्योग बैंक के नाम पृष्ठांकित कर दिया गया है और यदि बंधपत्र स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में है तो उसकी रजिस्ट्रीकृत धारक द्वारा प्ररूप X में रसीद दे दी गई है ।

(3) उप विनियम (1) के अधीन स्टाक प्रमाणपत्र पदधारक द्वारा या तो अकेले या, अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ या किसी पदधारण करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारित किया जा सकेगा ।

(4) जब स्टाक किसी व्यक्ति द्वारा अपने पद के नाम में धारित किया जाता है तब संबंधित स्टाक प्रमाणपत्र से संबंधित कोई दस्तावेज उस समय उस नाम से, जिसमें स्टाक प्रमाणपत्र धारण किया जाता है, पद धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा मानो उसका वैयक्तिक नाम इस प्रकार कथित है ।

(5) जहां लघु उद्योग बैंक की बहियों में न्यासी या पदधारक के रूप में उल्लिखित स्टाक प्रमाणपत्र धारक द्वारा निष्पादित किया गया तात्पर्यित कोई अंतरण विलेख, मुख्तारनामा या अन्य दस्तावेज लघु उद्योग बैंक को पेश किया जाता है वहां लघु उद्योग बैंक को इस बात की जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी कि क्या स्टाक धारक किसी न्यास या दस्तावेज या नियमों के निबंधनों के अधीन कोई ऐसा अधिकार देने या ऐसा विलेख या अन्य दस्तावेज निष्पादित करने का हकदार है, और ऐसे अंतरण-विलेख, मुख्तारनामे या दस्तावेज पर उसी प्रकार कार्य कर सकेगा मानो निष्पादक स्टाक प्रमाणपत्र धारक है, और चाहे अंतरण विलेख, मुख्तारनामे या दस्तावेज में स्टाक प्रमाणपत्र के धारक को न्यासी या पद धारक के रूप में उल्लिखित किया गया हो या नहीं और चाहे उसका न्यासी या पदधारक को अपनी हैसियत से अंतरण विलेख, मुख्तारनामे या दस्तावेज का निष्पादित करना तात्पर्यित हो या नहीं ।

(6) इन विनियमों की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी न्यास या किसी दस्तावेज या नियमों के अधीन किन्हीं न्यासियों या पद धारकों और हिताधिकारियों को, न्यास गठित करने वाली लिखत के उपबन्धों या उस संस्था के, जिसका स्टाक प्रमाणपत्र धारक पद का धारक है, नियमों को विधि के नियमों के अनुसार न करके अन्यथा कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है और लघु उद्योग बैंक और किसी स्टाक प्रमाणपत्र में कोई हित धारण या अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति या कोई स्टाक प्रमाणपत्र धारक को किसी स्टाक प्रमाणपत्र के संबंध में लघु उद्योग बैंक द्वारा रखे गए किसी रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के या स्टाक प्रमाणपत्र से संबंधित किसी दस्तावेज में किसी बात के कारण किसी न्यास या किसी स्टाक प्रमाणपत्र धारक की वैश्वासिक बाध्यता की सूचना है ।

(7) किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद के धारक के रूप में इस विनियम के अनुसरण में किए गए किसी आवेदन पर या किसी दस्तावेज पर जिसका निष्पादित किया जाना तात्पर्यित है, कार्य करने से पूर्व लघु उद्योग बैंक यह साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति उस पद का तत्समय धारक है ।

6. न्यास/न्यासी (न्यासियों) द्वारा वचन पत्रों के रूप में निर्गमित बंधपत्र धारण करने के लिए उपबंध --(1) विनियम 4 के उप-विनियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लघु उद्योग बैंक आवेदक के अनुरोध पर और लघु उद्योग बैंक के दायित्व के बिना, यथास्थिति, किसी विनिर्दिष्ट न्यास या उस न्यास के न्यासी (न्यासियों) के नाम में या आवेदक के वैयक्तिक नाम में, उसे उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट न्यास के न्यासी के रूप में या ऐसे विनिर्देशों के बिना न्यासी के रूप में, वचनपत्र के रूप में कोई बंधपत्र निर्गमित कर सकेगा ।

(2) जहां वचनपत्र के रूप में कोई बंधपत्र धारक के वैयक्तिक नाम में है वहां लघु उद्योग बैंक, लघु उद्योग बैंक द्वारा अपेक्षित प्ररूप में उसके द्वारा किए गए आवेदन पर तथा ऐसे बंधपत्र के अभ्यर्पण पर इस के उपविनियम (1) में अधिकथित रीति में वचनपत्र के रूप में संशोधित बंधपत्र निर्गमित कर सकेगा, परन्तु यह तब जबकि--

(i) इसके उप विनियम (6) के निबंधनों के अनुसार लघु उद्योग बैंक द्वारा अपेक्षित आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया गया है, और

(ii) बंधपत्र लघु उद्योग बैंक के पक्ष में पृष्ठांकित कर दिया गया है ।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन बंधपत्र किसी न्यास के न्यासी द्वारा अकेले या उस न्यास के न्यासियों के रूप में किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त: धारण किया जा सकेगा ।

(4) जहां वचनपत्र के रूप में कोई बंधपत्र न्यासी के रूप में बंधपत्र धारक द्वारा पृष्ठांकित किया गया तात्पर्यित है या, जहां बंधपत्र धारक द्वारा निष्पादित किया गया कोई मुख्तारनामा या अन्य दस्तावेज लघु उद्योग बैंक में पेश किया जाता है वहां लघु उद्योग बैंक को यह जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी कि क्या बंधपत्र धारक किसी न्यास या दस्तावेज या नियमों के निबंधनों के अधीन ऐसा पृष्ठांकन करने या ऐसा मुख्तारनामा या अन्य दस्तावेज निष्पादित करने का हकदार है और पृष्ठांकन, मुख्तारनामे या बंधपत्र पर उसी रीति से कार्य कर सकेगा मानो ऐसा पृष्ठांकन बंधपत्र धारक है और चाहे बंधपत्र धारक पृष्ठांकन, मुख्तारनामे या दस्तावेज में न्यासी के रूप में उल्लिखित है या नहीं और चाहे न्यासी की हैसियत में उसका ऐसा पृष्ठांकन करना या मुख्तारनामा या दस्तावेज निष्पादित करना तात्पर्यित हो या नहीं ।

(5) इन विनियमों की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी न्यास या किसी दस्तावेज या किन्हीं नियमों के अधीन किन्हीं न्यासियों और हिताधिकारियों को न्यास को लागू होने वाले विधि के नियमों या न्यास गठित करने वाली लिखत के निबंधनों के अनुसार न करके अन्यथा कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

(6) किसी व्यक्ति द्वारा किसी न्यास के न्यासी के रूप में इस विनियम के अनुसरण में किए गए किसी आवेदन पर कार्य करने से पूर्व लघु उद्योग बैंक यह साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति उस न्यास का तत्समय न्यासी है ।

7. व्यक्ति जो धारक होने के लिए निरर्हित है :--कोई भी अवयस्क या कोई भी व्यक्ति जो सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त का पाया गया है बंधपत्रों का धारक होने का हकदार नहीं होगा ।

8. ब्याज का संदाय :--(1) वचनपत्र के रूप में बंधपत्र पर ब्याज का संदाय, निर्गमन कार्यालय या बंधपत्र प्रास्पेक्टस में विनिर्दिष्ट लघु उद्योग बैंक के किसी दूसरे कार्यालय द्वारा बंधपत्र धारक द्वारा ऐसी औपचारिकताओं के पालन के अधीन रहते हुए जिनकी लघु उद्योग बैंक अपेक्षा करे और बंधपत्र के पेश किए जाने पर, किया जाएगा ।

(2) स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में बंधपत्र पर ब्याज का संदाय, सौंपने वाले के खाते में देय रेखांकित अधिपत्र जारी करके या ऐसी अन्य रीति में किया जाएगा जैसी लघु उद्योग बैंक द्वारा विनिश्चित की जाए । ब्याज के

सदाय के समय स्टाक प्रमाणपत्र पेश करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी किन्तु पाने वाला अधिपत्र के पीछे उनकी प्राप्ति अभिस्वीकार करेगा।

(3) लघु उद्योग बैंक की बहियों में प्रविष्टि के रूप में धारित किसी बंधपत्र पर ब्याज का संदाय लघु उद्योग बैंक द्वारा पाने वाले के खाते में देय रकम अधिपत्र जारी करके या ऐसी अन्य रीति में किया जाएगा जैसी लघु उद्योग बैंक द्वारा विनिश्चित की जाए।

9. वचनपत्र के रूप में बंधपत्र के खो जाने आदि पर प्रक्रिया :— (1) जिस किसी बंधपत्र के बारे में यह अभिकथित हो कि वह खो गया है, चोरी हो गया है, नष्ट हो गया है, अंशतः या पूर्णतः विकृत अथवा विरूपित हो गया है, उसके स्थान पर उसकी अनुलिपि जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निगमन कार्यालय को भेजा जाएगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात :—

(क)रुपए के.....प्रतिशत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र.....का बंधपत्र सं०..... (वर्ष)

(ख) पिछली छमाही जिसके लिए ब्याज का संदाय किया गया है,

(ग) वह व्यक्ति जिसको उक्त ब्याज का संदाय किया गया था,

(घ) वह व्यक्ति जिसके नाम में बंधपत्र निर्गमित किया गया था (यदि ज्ञात हो),

(ङ) बंधपत्र के खो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत या विरूपित हो जाने की परिस्थितियां, और

(च) क्या बंधपत्र के खो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में की गई थी।

(2) ऐसे आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित भेजे जाएंगे :—

(क) जहां बंधपत्र रजिस्ट्री डाक से प्रेषित किए जाने के दौरान खो गया था वहां बंधपत्र अंतरिष्ट करने वाले पत्र की डाकघर से प्राप्त रजिस्ट्री रसीद,

(ख) यदि खो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिस को दी गई हो तो पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति,

(ग) यदि आवेदक रजिस्ट्रीकृत धारक नहीं है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लिया गया ऐसा शपथपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि आवेदक बंधपत्र का अंतिम विधिक धारक है, और रजिस्ट्रीकृत धारक के हक का पता लगाने के लिए आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य, और

(घ) खो गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, विकृत या विरूपित बंधपत्र का कोई बचा हुआ भाग या टुकड़े।

10. राजपत्र में अधिसूचना :—वचनपत्र के रूप में बंधपत्र या उसके किसी भाग के खो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत या विरूपित हो जाने की अधिसूचना भारत के राजपत्र और उस स्थान के जहां बंधपत्र खो गया था चोरी, नष्ट या विकृत या विरूपित हो गया था, किसी स्थानीय राजपत्र में, यदि कोई हो, लगातार तीन अंकों में आवेदक द्वारा तुरन्त प्रकाशित की जाएगी। ऐसी अधिसूचना निम्नलिखित प्ररूप में या लगभग ऐसे प्ररूप में होगी जो परिस्थितियों से अनुज्ञात हो :—

.....प्रतिशत बंधपत्र.....कारुपए का भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र सं.....जो मूलतः थी.....के नाम में है और अंतिम बार थी.....स्वत्वधारी को पृष्ठांकित किया गया है जिसने उसका किसी अन्य व्यक्ति के नाम कभी पृष्ठांकन नहीं किया है खो* गया है/चोरी हो गया है/नष्ट हो गया है/विकृत या विरूपित हो गया है, अतः इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निर्गम कार्यालय में उपर्युक्त बंधपत्र और उस पर संदेय ब्याज का संदाय रोक दिया गया है और इसके स्वत्वधारी के पक्ष में इसकी एक अनुलिपि जारी किए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाने वाला है या किया गया है। जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे उपर्युक्त बंधपत्र का क्रय या उसमें संबंधित अन्यथा कोई लेन-देन न करें।

अधिसूचित करने वाले व्यक्ति का नाम.....
निवास.....

*जो लागू न हो उसे काट दें।

11. बंधपत्र की अनुलिपि जारी करना और उसके लिए क्षतिपूर्ति लेना :—

(1) विनियम 10 में विहित अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् यदि विहित अधिकारी का, बंधपत्र के खो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत या विरूपित हो जाने के संबंध में और आवेदक के दावे के औचित्य के संबंध में समाधान हो जाता है तो वह बंधपत्र की विशिष्टियों को विनियम 13 के अधीन प्रकाशित सूची में सम्मिलित कराएगा, और—

(क) यदि बंधपत्र का एक भाग ही खो गया है, चोरी हो गया है, नष्ट हो गया है, विकृत हो गया है और यदि उसका कोई ऐसा भाग पेश किया गया है जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त है तो इसमें आगे उल्लिखित क्षतिपूर्ति बंधपत्र के निष्पादित किए जाने पर विनियम 13 के अधीन सूची के प्रकाशन के तुरन्त पश्चात या उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से ऐसी अवधि की समाप्ति पर जो विहित अधिकारी आवश्यक समझे यह आदेश देगा कि ब्याज का संदाय किया जाए और उस बंधपत्र के स्थान पर जिसका कोई भाग खो गया है, चोरी हो गया है, नष्ट हो गया है, विकृत या विरूपित हो गया है, आवेदक को उसकी अनुलिपि जारी की जाए,

(ख) यदि इस प्रकार खो गए, नष्ट हो गए, विकृत या विरूपित बंधपत्र का कोई भी ऐसा भाग पेश नहीं किया गया है जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त है तो :

(i) उक्त सूची के प्रकाशन के दो वर्ष के पश्चात और इसमें आगे विहित रीति में क्षतिपूर्ति बंधपत्र के निष्पादित किए जाने पर, इसमें आगे उपबन्धित चार वर्ष की अवधि के समाप्त होने तक, आवेदक को इस प्रकार खो गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, विकृत या विरूपित बंधपत्र की बाबत ब्याज का संदाय किया जाए, और

(ii) उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष के पश्चात आवेदक को इस प्रकार खो गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, विकृत या विरूपित बंधपत्र की अनुलिपि जारी की जाए, परन्तु यह कि;

(I) यदि वह तारीख जिसको बंधपत्र प्रतिसंदाय के लिए शोध्य है उस तारीख से पूर्व पड़ती है जिसको चार वर्ष की उक्त अवधि समाप्त होता है तो विहित अधिकारी, पूर्वोक्त तारीख से छह सप्ताह के भीतर बंधपत्रों पर शोध्य मूल रकम डाकघर बचत बैंक में विनिहित कर देगा और इस रकम का ब्याज सहित, जो उस पर ऐसे बैंक में प्रोद्भूत हुआ हो, आवेदक को उस समय पर संदाय करेगा जब बंधपत्र की अनुलिपि अन्यथा जारी की गई होती और

(2) यदि बंधपत्र की अनुलिपि जारी किए जाने से पूर्व किसी भी समय मूल बंधपत्र मिल जाता है या निर्गमन कार्यालय को किन्हीं अन्य कारणों से ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश विखंडित किया जाना चाहिए तो मामला विहित अधिकारी को आगे विचारार्थ निर्देशित किया जाएगा और उस बीच इस आदेश पर सभी कार्रवाई निलंबित कर दी जाएगी। इस उप विनियम के अधीन पारित आदेश उसमें उल्लिखित चार वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अंतिम हो जाएगा जब तक कि इस बीच उस आदेश को विखंडित या अन्यथा उपांतरित नहीं कर दिया जाता है।

(2) विहित अधिकारी किसी बंधपत्र की अनुलिपि जारी करने के पूर्व किसी भी समय यदि उसके पास पर्याप्त कारण हो इस विनियम के अधीन जारी किए गए अपने आदेश को परिवर्तित या रद्द कर सकेगा और यह भी निदेश दे सकेगा कि बंधपत्र की अनुलिपि जारी करने के पहले का अंतराल चार वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि तक बढ़ाया जाए जो वह ठीक समझे।

(3) क्षतिपूर्तियां –

(क) (i) जब उप विनियम (1) (क) के अधीन निष्पादित की जाए तब अन्तर्वलित ब्याज की रकम की दुगुनी रकम के लिए अर्थात उस बंधपत्र पर प्रोद्भूत शोध्य ब्याज की सभी पिछली रकम की दुगुनी रकम धन उस अवधि में, जो बंधपत्र की अनुलिपि जारी करने के पूर्व व्यतीत होनी चाहिए, उस बंधपत्र पर प्रोद्भूत शोध्य ब्याज की सभी रकम की दुगुनी रकम के लिए होगी, और

(ii) अन्य सभी मामलों में बंधपत्र के अंकित मूल्य की दुगुनी रकम धन खंड (1) के अनुसार संगणित ब्याज की रकम की दुगुनी रकम के लिए होगी।

(ख) विहित अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी क्षतिपूर्ति केवल आवेदक द्वारा अथवा आवेदक या अपने द्वारा अनुमोदित एक या दो ऐसे प्रतिभूओं द्वारा जिन्हें वह उचित समझे निष्पादित की जाएगी।

12. स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में बंधपत्र के खो जाने आदि पर प्रक्रिया :– (1) किसी ऐसे स्टाक प्रमाण पत्र के स्थान पर जिसके बारे में यह अभिकथित हो कि वह खो गया है, चोरी हो गया है, अंशतः या पूर्णतः विकृत अथवा विरूपित हो गया है, उसकी अनुलिपि जारी कराने के लिए प्रत्येक आवेदन निर्गम कार्यालय को भेजा जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित भेजे जाएंगे,

(क) यदि स्टाक प्रमाण पत्र रजिस्ट्री डाक से प्रेषित किए जाने के दौरान खो गया है तो स्टाक प्रमाण पत्र अंतर्विष्ट करने वाले पत्र की डाक घर से रजिस्ट्री रसीद,

(ख) यदि स्टाक प्रमाण पत्र के खो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में की गई हो तो पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति,

(ग) मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया गया ऐसा शपथपत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया है कि आवेदक स्टाक प्रमाण पत्र का विधिक धारक है और कि स्टाक प्रमाण पत्र न तो उसके कब्जे में है और न ही उसने उसे अंतरित किया है, गिरवी रखा है या अन्यथा उस पर कोई हित दे दिया है, और

(घ) खो गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, विकृत या विरूपित स्टाक प्रमाण पत्र के बचे हुए कोई भाग या टुकड़े।

(2) आवेदन में स्टाक प्रमाण पत्र के खो जाने की परिस्थितियों का कथन किया जाएगा।

(3) यदि विहित अधिकारी का स्टाक प्रमाणपत्र के खो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत या विरूपित हो जाने के संबंध में समाधान हो जाता है तो वह मूल प्रमाण पत्र के बदले में उसकी अनुलिपि जारी करने का निदेश देगा।

13. सूची का प्रकाशन – (1) विनियम 11 में निर्दिष्ट सूची भारत के राजपत्र में अधिवार्षिक रूप से जनवरी और जुलाई में या उसके पश्चात सुविधानुसार शीघ्र प्रकाशित की जाएगी।

(2) सभी बंधपत्र, जिनकी बाबत आदेश विनियम 11 के अधीन पारित किया गया है ऐसे आदेश पारित किए जाने के पश्चात प्रकाशित होने वाली पहली सूची में सम्मिलित किए जाएंगे और तत्पश्चात वे बंधपत्र प्रत्येक उत्तरवर्ती सूची में तब तक सम्मिलित किए जाते रहेंगे जब तक कि प्रथम प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है।

(3) सूची में सम्मिलित किए गए प्रत्येक बंधपत्र के संबंध में निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात निर्गमन का नाम, बंधपत्र का संख्यांक, उसका मूल्य, उस व्यक्ति का नाम जिसे वह निर्गमित किया गया था, वह तारीख जिससे उस पर ब्याज लगेगा, अनुलिपि के लिए आवेदक का नाम, विहित अधिकारी द्वारा ब्याज के संदाय पर अनुलिपि जारी करने के लिए पारित आदेश का संख्यांक और तारीख और उस सूची के प्रकाशन की तारीख जिसमें वह बंधपत्र पहली बार सम्मिलित किया गया था।

14. लघु उद्योग बैंक का विवेकाधिकार :– विनियम 10, 11, 12 और 13 में किसी बात के होते हुए भी, जहां लघु उद्योग बैंक किसी मामले में ठीक समझता है वहां बंधपत्र की अनुलिपि जारी करने के संबंध में उसमें विहित प्रक्रिया से अभिमुक्ति देना और क्षतिपूर्ति के बारे में ऐसे निबंधनों पर, जो वह ठीक समझे, या अन्यथा बंधपत्र की अनुलिपि जारी करना लघु उद्योग बैंक के लिए विधिपूर्ण होगा।

15. विकृत बंधपत्र का ऐसे बंधपत्र के रूप में अवधारण जिसकी अनुलिपि का जारी किया जाना अपेक्षित है :–विहित अधिकारी का यह विकल्प होगा कि वह किसी बंधपत्र को, जो विकृत या विरूपित हो गया है, ऐसे बंधपत्र के रूप में माने जिसकी विनियम 11 के अधीन अनुलिपि जारी किया जाना या विनियम 14 के अधीन मात्र नवीकरण अपेक्षित है।

16. वचनपत्र के रूप में बंधपत्र का नवीकरण कराने की कब अपेक्षा की जा सकेगी :– (1) वचनपत्र के रूप में बंधपत्र के किसी धारक से निगमन कार्यालय द्वारा निम्नलिखित अवस्थाओं में वचनपत्र का नवीकरण कराने के लिए उस पर रसीद लिखने की अपेक्षा की जा सकेगी, अर्थात :–

(क) यदि बंधपत्र के पीछे केवल एक और पृष्ठांकन के लिए ही पर्याप्त स्थान बचा है या यदि कोई शब्द बंधपत्र पर वर्तमान पृष्ठांकन या पृष्ठांकनों के ऊपर लिखा गया है,

(ख) यदि निर्गमन कार्यालय की राय में बंधपत्र फटा हुआ है या किसी प्रकार से नुकसानग्रस्त या लिखाई से भरा हुआ है या ठीक नहीं है,

(ग) यदि कोई पृष्ठांकन स्पष्ट और सुभिन्न नहीं है या, यथास्थिति पाने वाले का या पाने वालों के नाम नहीं दर्शाता है या बंधपत्र के पीछे के पृष्ठांकन खानों में से किसी एक खाने में न करके किसी और तरीके से किया गया है,

(घ) यदि बंधपत्र पर ब्याज दस वर्ष या उससे अधिक समय तक अनाहरित रहा है,

(ङ) यदि बंधपत्र के पीछे दिए गए ब्याज के स्तंभ पूरी तरह भर गए हैं या यदि उस तारीख को जब ब्याज के भुगतान के लिए बंधपत्र प्रस्तुत किया जाता है, बंधपत्र के पीछे मुद्रित सभी खाने उस एकमुश्त के साथ मेल नहीं खाते, जिसके लिए ब्याज शोध्य हो गया है,

(च) यदि ब्याज के संदाय के लिए तीन बार मुखांकित किए जाने पर बंधपत्र फिर भुनाकन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और

(छ) यदि निर्गमन कार्यालय की राय में ब्याज के संदाय के लिए बंधपत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का हक अनियमित है या पूर्णतया साबित नहीं हुआ है।

(2) जब बंधपत्र का नवीकरण कराने के लिए अध्यपेक्षा उप विनियम (1) के अधीन की गई है, तब उस पर आगे संदेय ब्याज का संदाय करने से तब तक इंकार किया जाएगा जब तक उस पर नवीकरण के लिए रसीद नहीं लिख दी जाती है और वास्तव में उसका नवीकरण नहीं कर दिया जाता है।

17. किसी मृत एकमात्र धारक के बंधपत्र पर किस व्यक्ति के हक को मान्यता दी जा सकेगी :—(1) किसी बंधपत्र के मृत एकमात्र धारक (चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम, पारसी हो या कोई अन्य) के निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के अधीन उस बंधपत्र की बाबत जारी किए गए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निर्गमन कार्यालय द्वारा बंधपत्र का हकदार होने की विहित अधिकारी के किन्हीं साधारण या विशेष अनुदेशों के अधीन रहते हुए मान्यता दी जा सकेगी।

(2) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 45 में किसी बात के होते हुए भी, दो या अधिक धारकों के नाम जारी किए गए, विषय किए गए या संदेय अभिनिर्धारित बंधपत्र के मामले में एकमात्र उत्तरजीवी या एक से अधिक उत्तरजीवी और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात उसके निष्पादक, प्रशासक या अन्य कोई व्यक्ति ही जो बंधपत्र की बाबत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक है, ऐसा व्यक्ति होगा जिसे निर्गमन कार्यालय द्वारा बंधपत्र का हकदार होने की (विहित अधिकारी के किन्हीं साधारण या विशेष अनुदेशों के अधीन रहते हुए) मान्यता दी जा सकेगी।

(3) निर्गमन कार्यालय ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मान्यता देने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक उन्होंने यथास्थिति, भारत में किसी राज्य क्षेत्रातीत न्यायालय या कार्यालय से प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्राप्त नहीं किया है।

(4) उप विनियम (1), (2) और (3) में विहित किसी बात के होते हुए भी, जहां विहित अधिकारी अपने पूर्ण विवेक में किसी मामले में ठीक समझता है वहां, प्रोबेट या प्रशासन पत्रों या विधिक प्रतिनिधित्व पत्रों को, क्षतिपूर्ति के ऐसे निबंधनों पर या अन्यथा, जो वह ठीक समझे, पेश किए जाने से अभिमाफित देना उसके लिए विधिपूर्ण होगा।

18. नामनिर्देशन :—(1) विनियम 17 में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई बंधपत्र एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा धारण किया जाता है वहां, यथास्थिति, एकमात्र धारक या सभी धारक मिलकर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकते हैं जिन्हें, एकमात्र धारक की मृत्यु या सभी धारकों की मृत्यु की दशा में बंधपत्र पर शोध्य रकम का संदाय किया जा सकेगा।

परन्तु जब कोई बंधपत्र दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा धारण किया जाता है तब नामनिर्देशिती सभी धारकों की मृत्यु पर ही रकम पाने का हकदार होगा।

परन्तु यह खंड इस विनियम की कोई बात किसी दावे पर प्रभाव नहीं डालेगी जो बंधपत्र पर शोध्य किसी रकम की बाबत किसी बंधपत्र के मृत धारक के किसी प्रतिनिधि का हो।

(2) यदि उप विनियम (1) के अधीन दो या अधिक व्यक्ति नामनिर्देशित किए जाते हैं तो बंधपत्र पर शोध्य रकम नामनिर्देशितियों में नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट रीति में वितरित की जाएगी, और ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में रकम सभी नामनिर्देशितियों में बराबर वितरित की जाएगी।

परन्तु यदि कोई नामनिर्देशन विद्यमान नहीं है या यदि ऐसा नामनिर्देशन शोध्य रकम के केवल एक भाग के संबंध में है तो संपूर्ण रकम का या उसके उस भाग का जिसमें नामनिर्देशन संबंधित नहीं है, संदाय विनियम 17 के उपविनियम (2) के अधीन उसके हकदार व्यक्तियों को किया जाएगा।

(3) उप विनियम (1) के अधीन कोई नामनिर्देशन, यथास्थिति एक मात्र धारक या सभी धारकों द्वारा मिलकर प्ररूप XV में किया जा सकेगा।

(4) ऐसे बंधपत्र की बाबत ही नामनिर्देशन किया जा सकेगा जो धारक की वैयक्तिक हैसियत में धारित है, और किसी पद के धारक की रूप में किसी प्रतिनिधिक हैसियत में या अन्यथा नहीं किया जा सकेगा।

(5) जहां नामनिर्देशिती अवयस्क है, वहां यथास्थिति, एकमात्र धारक या सभी धारक मिलकर किसी व्यक्ति को (जो अवयस्क नहीं है) नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान बंधपत्र पर शोध्य रकम प्राप्त करने के लिए नियुक्त कर सकेंगे।

(6) जहां कोई बंधपत्र किसी अवयस्क के नाम में धारित है, वहां नामनिर्देशन यदि कोई हो, अवयस्क की ओर से कार्य करने के लिए विधि पूर्ण रूप से हकदार किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(7) कोई नामनिर्देशन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को बंधपत्र के साथ प्ररूप XV में कोई आवेदन प्रस्तुत करके प्रतिस्थापित किया जा सकेगा या प्ररूप XVI में कोई आवेदन प्रस्तुत करके रद्द किया जा सकेगा।

(8) कोई नामनिर्देशन या किसी नामनिर्देशन का कोई प्रतिस्थापन या रद्दकरण लघु उद्योग बैंक की बहियों में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण का तथ्य बंधपत्र पर लिखा जाएगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण पर, यथास्थिति, उक्त नामनिर्देशन, रद्दकरण या प्रतिस्थापन उस तारीख से प्रभावी समझा जाएगा जिसको यह प्रस्तुत किया गया था।

(9) इस विनियम के अधीन सम्यक रूप में किए गए और रजिस्ट्रीकृत किए गए किसी नामनिर्देशन के अधीन बंधपत्र के संबंध में उन अधिकारों पर जो किसी नामनिर्देशिती ने अर्जित किए हैं, बंधपत्र की अनुलिपि के जारी किए जाने के कारण प्रभाव नहीं पड़ेगा और नामनिर्देशिती को बंधपत्र की अनुलिपि के संबंध में वही अधिकार होंगे जो उसके मूल बंधपत्र के संबंध में थे।

19. नवीकरण आदि के लिए रसीद :—(1) विहित अधिकारी के किन्हीं साधारण या विशेष अनुदेशों के अधीन रहते हुए, धारक के आवेदन पर निर्गमन कार्यालय अपने आदेश से—

(क) धारक द्वारा बचनपत्र या बचनपत्रों के रूप में बंधपत्र या बंधपत्रों के परिदत्त कर दिए जाने पर और अपने दावे के औचित्य के संबंध में निर्गमन कार्यालय का समाधान कर देने पर, बचनपत्र या बचनपत्रों का नवीकरण, उप विभाजन या समेकन कर सकेगा, परन्तु यह तब जब कि बचनपत्र या बचनपत्रों पर, यथास्थिति, प्ररूप I, II या III में रसीद लिख दी गई है, या

(ख) बचनपत्र या बचनपत्रों को रटाक प्रमाणपत्र या रटाक प्रमाणपत्रों में संपरिवर्तित कर सकेगा परन्तु यह तब जब कि बचनपत्र या बचनपत्रों पर निम्नलिखित पृष्ठांकित कर दिया गया है :—

"भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को संदाय करें" या

(ग) स्टाक प्रमाण पत्र या स्टाक प्रमाणपत्रों का नवीकरण, उप-विभाजन या समेकन कर सकेगा परंतु यह तब जब कि स्टाक प्रमाणपत्र या स्टाक प्रमाणपत्रों पर, यथास्थिति, प्ररूप VI, VII या VIII में रसीद लिख दी गई है, या

(घ) स्टाक प्रमाणपत्र या स्टाक प्रमाणपत्रों को वचनपत्र या वचनपत्रों में संपरिवर्तित कर सकेगा परंतु यह तब जब कि स्टाक प्रमाणपत्र या स्टाक प्रमाणपत्रों पर प्ररूप IX में रसीद लिख दी गई है, या

(ङ) एक शृंखला के बंधपत्रों को दूसरी शृंखला के बंधपत्रों में संपरिवर्तित कर सकेगा, परन्तु यह तब जब कि

(i) शृंखलाओं का परस्पर संपरिवर्तन अनुज्ञेय है, और

(ii) ऐसे संपरिवर्तन को शासित करने वाली शर्तों का पालन किया गया है ।

(2) निर्गमन कार्यालय विहित अधिकारी के आदेशों के अधीन उप-विनियम (1) के अधीन किसी बंधपत्र का नवीकरण, उप-विभाजन या समेकन करने के लिए, आवेदक से, विहित अधिकारी द्वारा अनुमोदित एक या अधिक प्रतिभूति सहित प्ररूप IV में क्षतिपूर्ति निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

20. हक के संबंध में विवाद की दशा में बंधपत्र का नवीकरण :— जहां किसी बंधपत्र के हक के संबंध में, जिसके नवीकरण के लिए कोई आवेदन किया गया है, कोई विवाद है वहां विहित अधिकारी :

(क) जहां विवाद के किसी पक्षकार ने सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय से ऐसे बंधपत्र का हकदार होने का अंतिम विनिश्चय अभिप्राप्त कर लिया है वहां ऐसे पक्षकार के पक्ष में नवीकृत बंधपत्र निर्गमित कर सकेगा, या

(ख) जब तक ऐसा विनिश्चय अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक बंधपत्र का नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजनों के लिए "अंतिम निर्णय" पद से ऐसा विनिश्चय अभिप्रेत है जो अपीलीय नहीं है या जो अपीलीय है किंतु जिसके विरुद्ध विधि द्वारा अनुज्ञात परिसीमा अवधि के भीतर कोई अपील नहीं की गई है ।

21. नवीकृत बंधपत्र के संबंध में दायित्व आदि :— जब किसी व्यक्ति के पक्ष में विनियम 11 के अधीन बंधपत्र की अनुलिपि जारी कर दी गई है या नवीकृत बंधपत्र निर्गमित कर दिया गया है या विनियम 19 के अधीन उप-विभाजन या समेकन होने पर नया बंधपत्र निर्गमित कर दिया गया है तब इस प्रकार निर्गमित बंधपत्र के बारे में समझा जाएगा कि वह लघु उद्योग बैंक और ऐसे व्यक्ति और तत्पश्चात् उसकी मार्फत हक प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों के बीच एक नया करार गठित करता है ।

22. उन्मोचन :— लघु उद्योग बैंक, परिपक्वता पर संदेय उस बंधपत्र या उन बंधपत्रों को बाबत या जिसके/जिनके स्थान पर अनुलिपि, नवीकृत, उप-विभाजित या समेकित बंधपत्र निर्गमित किया गया है / किए गए हैं—

(क) संदाय की दशा में उस तारीख से चार वर्ष बीत जाने के पश्चात्, जिसको संदाय शोध्य था,

(ख) अनुलिपि बंधपत्र की दशा में विनियम 13 के अधीन उस सूची के, जिसमें बंधपत्र का पहली बार उल्लेख प्रकाशन की तारीख से, या विनियम 11 में उल्लिखित मूल बंधपत्र पर ब्याज के संदाय की तारीख से, चार वर्ष बीत जाने के पश्चात् जो भी तारीख बाद की हो ।

(ग) नवीकृत बंधपत्र या उप-विभाजन या समेकन होने पर निर्गमित किए गए बंधपत्र की दशा में, उसके निर्गमन की तारीख से चार वर्ष बीत जाने के पश्चात् उन्मोचित हो जाएगा ।

23. ब्याज की बाबत उन्मोचन :— बंधपत्र के निबंधनों में यथा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित के सिवाए कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे बंधपत्र पर किसी अवधि की बाबत, जो उस पूर्वतम तारीख के पश्चात् बीत गई है, जिसको ऐसे बंधपत्र पर शोध्य रकम के संदाय के लिए मांग की जा सकती थी, ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

24. बंधपत्र का उन्मोचन :— (क) जब बंधपत्र या स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में धारित कोई बंधपत्र मूल के संदाय के लिए शोध्य हो जाता है तब वह लघु उद्योग बैंक के ऐसे कार्यालय में जिसमें उस पर ब्याज संदेय है या निर्गमन कार्यालय में, उसके पृष्ठ पर धारक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षर करके, प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ख) जब खाते में किसी प्रविष्टि के रूप में कोई बंधपत्र मूल के संदाय के लिए शोध्य हो जाता है तब प्ररूप XIV में सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित रसीद धारक द्वारा निर्गमन कार्यालय को दी जाएगी ।

25. लघु उद्योग बैंक की ओर से शक्तियों का प्रयोग :— लघु उद्योग बैंक द्वारा विनियम 4(2), 5(2), 5(7), 6(6) और 8(1) के अधीन प्रयोक्तव्य शक्तियों का लघु उद्योग बैंक की ओर से प्रयोग लघु उद्योग बैंक के प्रबंध निदेशक और उसकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और या महा प्रबंधक द्वारा किया जा सकेगा ।

अनुसूची

प्ररूप I [विनियम 19(1)(क) देखें]

वचनपत्र के रूप में बंधपत्र के नवीकरण के लिए पृष्ठांकन का प्ररूप

इसके बदले भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक----------द्वारा देय ब्याज सहित----------को

(स्थान) (धारक का नाम)

संदेय नवीकृत वचनपत्र प्राप्त किया।

धारक के/----------के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।

(धारक का नाम)

प्ररूप II [विनियम 19(1)(क) देखें]

वचनपत्र के रूप में बंधपत्र के उप-विभाजन के लिए पृष्ठांकन का प्ररूप

इसके बदले में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक----------द्वारा संदेय ब्याज सहित----------को संदेय

(स्थान) (धारक का नाम)

क्रमशः----------रुपए के लिए----------वचनपत्र प्राप्त किए।

धारक के/----------के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।

(धारक का नाम)

प्रारूप III [विनियम 19(1)(क) देखें]

बचनपत्र के रूप में बंधपत्रों के समेकन के लिए पृष्ठांकन का प्रारूप

इसके बारे में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक----------द्वारा संदेय ब्याज सहित (इसके साथ समेकित किए जाने के लिए प्रतिभूत

(स्थान)

अन्य बचनपत्र (पत्रों) का/के संख्यांक और रकम (रकमों) का उल्लेख करते हुए तथा निर्गमन को विनिर्दिष्ट करते हुए) बचनपत्र या बचनपत्र संख्यांक----------के साथ समेकन द्वारा----------रुपए के लिए ----------को संदेय तथा बचनपत्र प्राप्त किया।

(धारक का नाम)

धारक के/----------के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।

(धारक का नाम)

प्रारूप IV [विनियम 19(2) देखें]

यह सब को ज्ञात हो कि हम----------जो श्री----------का पुत्र और----------

(मुख्य बंधपत्र धारक का नाम)

निवासी है और----------जो श्री----------का

(प्रतिभू सं. 1)

पुत्र और----------का निवासी है तथा----------

(प्रतिभू सं. 2)

जो श्री----------का पुत्र और----------का निवासी है, इसके द्वारा अपने को और हम में से प्रत्येक हमारे और हमारे वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों में से प्रत्येक को और उन सब को संयुक्ततः और पृथकतः भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अधीन यथा स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को (जिसे इसमें आगे "उक्त लघु उद्योग बैंक" कहा गया है) उसके प्रदानियों, उत्तरवर्तियों और समनुदेशितियों को----------रुपए की राशि के संदाय के लिए आबद्ध करते हैं।

और मैं/हममें से प्रत्येक----------उक्त लघु उद्योग बैंक के साथ प्रसंविदा करता

(मुख्य बंधपत्र धारक) और (प्रतिभू/प्रतिभुओं का/के नाम)

हूं/करते हैं कि यदि इस आदेश या इसके नीचे लिखित शर्त के संबंध में कोई वाद लखनऊ/मुंबई उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय में लाया जाता है तो यह उक्त लघु उद्योग बैंक की प्रेरणा पर ऐसे वाद में चाहे कोई भी पक्षकार क्यों न हो, उक्त उच्च न्यायालयों में से किसी को भेज दिया जाएगा और उसका/उसकी असाधारण मूल सिविल अधिकारिता में लखनऊ/मुंबई में विचारण तथा अवधारण किया जाएगा।

उक्त----------ने उक्त लघु उद्योग बैंक को इसकी अनुसूची में उल्लिखित उक्त लघु उद्योग बैंक द्वारा निर्गमित

(मुख्य बंधपत्र धारक का नाम)

बंधपत्र (पत्रों) के नवीकरण/समेकन/उप-विभाजन के लिए आवेदन किया है।

और उक्त लघु उद्योग बैंक उक्त----------के दो अच्छे और पर्याप्त प्रतिभुओं सहित इसके नीचे लिखित शर्त

(मुख्य बंधपत्र धारक)

के अधीन रहते हुए उक्त बंधपत्र करने और निष्पादित करने पर उक्त आवेदन को स्वीकार करने के लिए सम्मत और सहमत हो गया है:

और अतः आबद्ध----------उक्त----------के अनुरोध पर

(प्रतिभू/प्रतिभुओं का/के नाम) (मुख्य बंधपत्र धारक)

----------के लिए प्रतिभू होने और उक्त बंधपत्र निष्पादित करने में उक्त----------

(मुख्य बंधपत्र धारक) (मुख्य बंधपत्र धारक)

के साथ सम्मिलित होने के लिए सहमत हो गया/हो गए हैं।

उक्त बंधपत्र की शर्त यह है कि यदि उक्त आबद्ध----------और----------या उनमें से प्रत्येक का

(मुख्य बंधपत्र धारक) (प्रतिभू/प्रतिभुओं का/के नाम)

उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि या उनमें से कोई या प्रत्येक, इसकी अनुसूची में उल्लिखित उक्त लघु उद्योग बैंक द्वारा निर्गमित बंधपत्र (बंधपत्रों) या उन पर किसी ब्याज का हकदार होने का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों और उक्त बंधपत्र (बंधपत्रों) या उसके नवीकरण या उन पर ब्याज के संदाय के लिए अन्य व्यक्तियों के, चाहे कोई भी हों, दावों और मांगों से और उसके विरुद्ध तथा ऐसे सभी नुकसान, हानि, खर्चे, प्रभार और व्यय से जो उक्त लघु उद्योग बैंक को किसी ऐसे दावे या मांग के लिए या उसके परिणामस्वरूप या उसके संबंध में उक्त बंधपत्र (बंधपत्रों) के निर्गमन के कारण या उक्त बंधपत्र (बंधपत्रों) या संपरिवर्तित बंधपत्र (बंधपत्रों) पर ब्याज के किसी संदाय के संबंध के कारण उठाने पड़े, उपगत करने पड़े या दावा होना पड़े, उक्त लघु उद्योग बैंक को समय-समय पर और उसके पर्यवसान सभी समयों पर प्रभारों की बाबत बचाएंगे, उसका प्रतिरक्षा करेंगे, उसे हानि रहित और अक्षतिग्रस्त रखेंगे तब और तभी यह बंधपत्र शून्य होगा किन्तु अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावशील रहेगा।

----------और

(मुख्य बंधपत्र धारक का नाम)

----------की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदत्त किया।

तारीख

2848 GI/90—4

इसमें निर्दिष्ट प्रतिभूतियां

वंशावली की प्रकृति और वर्णन	संख्यांक	निर्गमन तारीख	रकम

प्ररूप V [विनियम 19 (1) देखें]

धारण का प्रमाणपत्र

मैं/हम----------इसके द्वारा----------रुपए का जो----------स्टाक/*स्टाक के एक भाग को रखता हूं, जैसा इस लिखत के मुख पर विनिर्दिष्ट है,----------प्रतिभूत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम----------(वर्ष) में अंतर्लिखित स्टाक में मेरा/हमारा हित या शेयर उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित----------,उसके/उनके निष्पादकों (अंतरितों/अंतरितियों का नाम) प्रशासकों या समनुदेशितियों को समनुदेशित और अंतरित करता हूं/करते हैं और मैं/हम----------ऊपर (धारक का/धारकों के नाम) अंतरित स्टाक को उस सीमा तक निर्बाध रूप से स्वीकार करता हूं/करते है जिस सीमा तक वह मुझे/हमें अंतरित किया गया है।

*मैं/हम----------इसके द्वारा अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें इसके द्वारा अंतरित स्टाक के धारक/धारकों (धारक का/धारकों के नाम) के रूप में मुझे/हमें रजिस्ट्रीकृत किए जाने पर उक्त स्टाक प्रमाणपत्र उस सीमा तक जिस सीमा तक वह मुझे/हमें अंतरित किया गया है मेरे/हमारे नाम में नवीकृत/संपरिवर्तित किया जाए।

*मैं/हम----------इसके द्वारा अनुरोध करता हूं/करते है कि उक्त अंतरिती (अंतरितियों) को इसके द्वारा उसे (धारक का/धारकों के नाम) उन्हें अंतरित स्टाक के धारक (धारकों) के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने पर उक्त स्टाक प्रमाणपत्र उस सीमा तक जिस सीमा तक वह उसे/उन्हें अंतरित किया गया है मेरे/हमारे नाम में नवीकृत किया जाए।

इसके साक्ष्य के रूप में**----------की उपस्थिति में----------के----------(वर्ष) (मास) ----------को ऊपर नामित अंतरक ने हस्ताक्षर किए। (तारीख)

अंतरक----------

पता----------

(अंतरिती)----------

पता----------

उक्त अंतरिती ने**----------की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

*इस पैरा का तब प्रयोग किया जाता है जब प्रमाणपत्र का कोई अंश अंतरित किया जाता है।

**साक्षी के हस्ताक्षर, उपजीविका, पता

प्ररूप VI [विनियम 19 (1)(ग) देखें]

स्टाक प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए पृष्ठांकन का प्ररूप

इसके बदले में----------के नाम में----------रुपए का----------प्रतिभूत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक----------का एक नवीकृत स्टाक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जिस पर ब्याज भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,----------द्वारा संदेय होगा।

(स्थान)

रजिस्ट्रीकृत धारक/धारकों की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)

IndiaCode

प्रपत्र VII [विनियम 19(1) (ग) देखें]

स्टाक प्रमाणपत्र के उप-विभाजन के लिए पृष्ठांकन का प्ररूप

इस स्टाक प्रमाण पत्र सं.----------के बदले में----------प्रतिशत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र----------के----------रुपए के प्रमाणपत्र प्राप्त किए
(वर्ष)
जिन पर ब्याज भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ----------द्वारा संदेय होगा।
(स्थान)

रजिस्ट्रीकृत धारक/सम्यक् रूप से प्राधिकृत
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)

प्रपत्र VIII [विनियम 19(1)(ग) देखें]

स्टाक प्रमाणपत्रों के संयोजन के लिये पृष्ठांकन का प्ररूप

----------प्रतिशत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र, ----------के----------रुपये के
(वर्ष)
----------स्टाक प्रमाणपत्र सं. ----------प्रतिशत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र----------
(वर्ष)
----------का----------रुपये का एक स्टाक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जिस पर ब्याज भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक----------द्वारा संदेय होगा।
(स्थान)

रजिस्ट्रीकृत धारक/सम्यक् रूप से प्राधिकृत
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)

प्रपत्र IX [विनियम 19(1)(घ) देखें]

स्टाक प्रमाणपत्रों को वचनपत्रों में संपरिवर्तन के लिये पृष्ठांकन का प्ररूप

इस स्टाक प्रमाणपत्र के बदले में प्रति वचनपत्र----------रुपये के----------वचनपत्र, (शेष----------रुपये के लिये) एक नया स्टाक प्रमाणपत्र प्राप्त किया जिसका ब्याज भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,----------द्वारा संदेय होगा।
(स्थान)

रजिस्ट्रीकृत धारक/सम्यक् रूप से प्राधिकृत
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)

प्रपत्र X [विनियम 5(2)(घ)(3) देखें]

स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में निर्गमित बंधपत्र के नवीकरण की रसीद का प्ररूप

इसके बदले में----------के पक्ष में ----------रुपये के लिये----------प्रतिशत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र,----------का एक नवीकृत स्टाक प्रमाणपत्र प्राप्त किया, जिस पर ब्याज भारतीय लघु उद्योग विकास
(वर्ष)
बैंक----------द्वारा संदेय होगा।
(स्थान)

(रजिस्ट्रीकृत धारक के हस्ताक्षर)

IndiaCode

प्रारूप XI [विनियम 3(3क)(ग) देखें]

वचनपत्र के रूप में बंधपत्र को लघु उद्योग बैंक में खाते में प्रविष्टि में संपरिवर्तित करने के लिये अभ्यपेक्षा

तारीख----------19---

सेवा में,

प्रबंधक,
बंधपत्र अनुभाग,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
मुम्बई/लखनऊ

महोदय,

विषय :----------प्रतिशत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र, ----------(--------शृंखला)

हम घोषित करते हैं कि वचनपत्र (वचनपत्रों) के रूप में निर्गमित कुल----------रुपये के अंकित मूल्य के भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र जो इसके पीछे सूचीबद्ध किये गये हैं हमारी संपत्ति हैं और अनुरोध करते हैं कि लघु उद्योग बैंक द्वारा रखे जाने वाले खाते में हमारे नाम में प्रविष्टि के रूप में उन्हें धारण करने के लिये हमें अनुज्ञात किया जाए जिसके लिये हम इसके साथ लघु उद्योग बैंक के पक्ष में सम्यक् रूप से पृष्ठांकित सुसंगत बंधपत्र स्क्रिप अभ्यर्पित करते हैं । उस व्यक्ति का/उन व्यक्तियों के नाम, पदनाम और नमूना हस्ताक्षर, जिसे/जिन्हें खाता संचालित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, इसके पीछे दिये गये हैं।

इस संबंध में हम सम्यक् रूप से स्टांपित और आपको प्रारूप के अनुसार निष्पादित किया गया आपके पक्ष में अतिपूर्ति विलेख इसके साथ भेज रहे हैं ।

हम आपसे यह अनुरोध करते हैं कि लघु उद्योग बैंक में खाते के रूप में बंधपत्रों के धारण का प्रमाणपत्र और हमारी धृति का कालिक विवरण ऊपर दिये गये पते पर सम्यक् अनुक्रम में भेज दिया करें।

कृपया इस पत्र की पावती दें ।

भवदीय

रजिस्ट्रीकृत धारक (धारकों)/या उसके
सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर ----------

रजिस्ट्रीकृत धारक का/धारकों के नाम----------

इसके साथ भेजे गये, बंधपत्र स्क्रिपों की सूची

नीचे कथित अंकित मूल्य (मूल्यों) में वचनपत्र

1. ----------रुपये के लिये बंधपत्र स्क्रिप सं.----------तारीख--------(--------शृंखला)
2. ----------रुपये के लिये बंधपत्र स्क्रिप सं.----------तारीख----------(----------शृंखला)
3. ----------रुपये के लिये बंधपत्र स्क्रिप सं.----------तारीख----------(----------शृंखला)

बंधपत्र स्क्रिपों का कुल अंकित मूल्य----------रुपये

नमूना हस्ताक्षर----------एकल/संयुक्त/प्रत्येक या उत्तरजीवी

नाम 1. ----------पदनाम----------

2.----------पदनाम----------

पता

टेलीफोन----------टेलैक्स----------

अनुलग्नक : (1)----------रुपये के संकलित मूल्य के बंधपत्र स्क्रिप

(2) अतिपूर्ति विलेख

प्रपत्र XII [विनियम 3(उक) (ढ) देखें]

लघु उद्योग बैंक में खाते में प्रविष्टि के रूप में धारित बंधपत्रों के बदले में धारक विकल्प जारी करने के लिये प्रार्थनापत्र।

सेवा में,

प्रबंधक,
बंधपत्र अनुभाग,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
मुम्बई/लखनऊ

महोदय,

विषय ----------%भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र----------(----------शृंखला)

हम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में रखे गये खाते में प्रविष्टि के रूप में हमारे द्वारा धारित बंधपत्रों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा जारी किया गया धृति प्रमाणपत्र इसके साथ भेज रहे हैं।

हमारा अनुरोध है कि हमारी बंधपत्र धृतियों को पीछे दिये गये ब्यौरों के अनुसार धारकपत्र (धारकपत्रों) के रूप में संपरिवर्तित और अंतरित कर दिया जाये।

हमारा अनुरोध है कि इस संबंध में बंधपत्र विकल्प उन बंधपत्रों को, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में रखे गए खाते में प्रविष्टि के रूप में धारित रखे जा रहे हैं, अतिशेष रकम रु./को बाबत ताजा धृति प्रमाणपत्र सहित हमारे ऊपर दिये हुए पते पर रजिस्ट्री डाक द्वारा हमें भेजे जायें।

कृपया इस पत्र को पावती दें।

भवदीय

रजिस्ट्रीकृत धारक(धारकों) या उस के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकृत धारक/धारकों के नाम----------

विद्यमान धृति प्रमाणपत्रों के ब्यौरे और धारकपत्रों की अपेक्षा

1. धृति प्रमाणपत्र सं. ----------तारीख ----------रुपए (----------शृंखला)
2. धृति प्रमाणपत्र सं. ----------तारीख ----------रुपए (----------शृंखला)
3. धृति प्रमाणपत्र सं. ----------तारीख ----------रुपए (----------शृंखला)

बंधपत्रों का कुल अंकित मूल्य ----------रुपए है जिसके लिए नीचे कथित अंकित मूल्य में बंधपत्र स्क्रिप जारी करने की व्यवस्था करें।

अंकित मूल्य	संख्या	कुल अंकित मूल्य
(1) प्रत्येक 1,000 रुपए का		----------रुपए
(2) प्रत्येक 10,000 रुपए का		----------रुपए

----------रुपए के कुल अंकित मूल्य ---------- कुल ----------स्क्रिप

हमारा अनुरोध है कि बंधपत्रों की अतिशेष रकम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में रखे गए खाते में प्रविष्टि के रूप में धारित रहने दी जाए।

प्रपत्र XIII [विनियम 3 (उक) (ढ) देखें]

लघु उद्योग बैंक में खाते में प्रविष्टि के रूप में बंधपत्रों के अन्तरण का प्ररूप

हम, ----------भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में खाते में प्रविष्टि के रूप में बंधपत्रों के धारक (धारकों) की हैसियत में ----------रुपए की सीमा तक, जो हमारी संपूर्ण बंधपत्र धृति/उसका भाग है, अपनी धृति उस पर ----------तक प्रोद्भूत ब्याज सहित ----------को और उसके पक्ष में इसके द्वारा समनुदेशित और अंतरित करते हैं।

IndiaCode

हम उक्त व्यक्तियों के हमारे नाम को आरक्षण निर्बंध रूप से स्वीकार करते हैं।

आज ---------- 199---- को साक्षी के रूप में हम हस्ताक्षर करते हैं।

1. ---------- (विक्रेता) द्वारा ----------की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

2. ---------- (क्रेता) द्वारा ----------की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

टिप्पण : (उस राज्य के लिए यह निबन्धित किया जाए स्थानीय स्टाम्प अधिनियम द्वारा यथासंशोधित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 64 (ए) के अधीन स्टाम्प लगाई जाएगी)।

प्ररूप XIV [विनियम 24 (घ) देखें]

लघु उद्योग बैंक में जाने में प्रविष्टि के रूप में धारित बंधपत्रों के उन्मोचन के प्ररूप

सेवा में

प्रबंधक,
मुख्य कार्यालय,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक,
मुम्बई/लखनऊ

महोदय,

विषय ----------%भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बंधपत्र (----------श्रृंखला)

----------(बंधपत्र धारक) के जमा खाते में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की बहियों में प्रविष्टि के रूप में धारित ----------रुपए (---------- रुपए) के अभिहित अंकित मूल्य के उपर्युक्त बंधपत्र (बंधपत्रों) पर परिपक्वता की तारीख को प्रोद्भूत ब्याज सहित मूल रकम प्राप्त की। यह प्रमाणित किया जाता है कि बंधपत्र (बंधपत्रों) की अभिहित रकम और परिपक्वता की तारीख तथा प्रोद्भूत ब्याज की रकम मेरी/हमारी बहियों से मेल खाती है।

भवदीय,

रजिस्ट्रीकृत धारक (धारकों) या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकृत धारक का/धारकों के

नाम ----------

तारीख ----------

स्थान----------

प्ररूप XV (विनियम 18 देखें)

नामनिर्देशन/नामनिर्देशन के प्रतिसंहरण का प्ररूप

1. मैं/हम ----------निम्नलिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) के रूप में नाम-
(धारक का/धारकों के नाम)

निर्देशित करता हूं/करते हैं जिसे/जिन्हें मेरी/हमारी अवयस्क धारक की मृत्यु की दशा में नीचे विनिर्दिष्ट बंधपत्रों पर शोध्य रकम का संदाय किया जाए :

बंधपत्र

क्रम सं.	वर्णन	मुद्रित संख्यांक	निर्गमन तारीख	अंकित मूल्य
1.				
2.				
3.				

नामनिर्देशिती

नाम	पता	जन्म तिथि (यदि नामनिर्देशिती अवयस्क है)	संदेय रकम का प्रतिशत (@)
1.			
2.			
3.			

2 * उक्त पेन सं. ----------पर नामनिर्देशिती अवयस्क है/है, इस लिए मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ----------को ऐसे नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) की अवयस्कता के दौरान मेरे/हमारी/अवयस्क धारक की मृत्यु हो जाने की दशा में उस/उन पर शोध्य रकम प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं/करते है।

** यह नामनिर्देशन मेरे/हमारे द्वारा ----------तारीख को किए गए और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की बहियों में ----------को रजिस्ट्रीकृत नामनिर्देशन के प्रतिस्थापन में है जो इस नामनिर्देशन के रजिस्ट्रीकरण पर रद्द हो जाएगा।

*** (धारक के हस्ताक्षर)

साक्षियों के हस्ताक्षर और पते

1.

2.

स्थान :

तारीख :

@ इस स्तंभ में प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय कुल रकम का प्रतिशत दर्शित करें।

* इस पैरा को काट दें जब नामनिर्देशन किसी अवयस्क के पक्ष में नहीं है।

** इस पैरा को काट दें जब नामनिर्देशन पहले किए गए नामनिर्देशन के प्रतिस्थापन में नहीं है।

*** यदि कोई धारक किसी अवयस्क के नाम में धारित है तो नामनिर्देशन अवयस्क की ओर से विधिपूर्ण रूप में हकदार किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

प्ररूप XVI [विनियम 18 (7) देखें]

नामनिर्देशन को रद्द करने के लिए प्ररूप

मैं/हम ----------नीचे विनिर्दिष्ट और ----------को रजिस्ट्रीकृत बंधपत्रों की बाबत
(धारक का/धारकों के नाम)

मेरे/हमारे द्वारा किए गए ----------के नामनिर्देशन को इसके द्वारा रद्द करता हूं/करते है।
(तारीख)

क्रम सं.	वर्णन	सुनिश्चित संख्यांक	निर्गमन तारीख	अंकित मूल्य
1.				
2.				
3.				

स्थान

तारीख

* (धारक के हस्ताक्षर)

(धारक का नाम)

साक्षियों के हस्ताक्षर और पते

1.

2.

* यदि अवयस्क किसी अवयस्क के नाम में धारित है तो नामनिर्देशन का रद्दकरण अवयस्क की ओर से विधिपूर्ण रूप में हकदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

आर. एस. अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक

पाद टिप्पण :— प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 21 जून, 1990 के अपने पत्र द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (बंधपत्रों का निर्गमन और प्रबन्ध) विनियम, 1990 को अनुमोदन प्रदान किया है।

प्रबंधक (विधि)

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA (ISSUE AND MANAGEMENT OF BONDS) REGULATIONS, 1990

No. 3144 CAD.Bonds|General Regulations.—In exercise of the powers conferred by Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Board of Directors of the Small Industries Development Bank of India, with the previous approval of the Industrial Development Bank of India, is pleased to make the following Regulations, namely :—

1. Short title and applications.—(1) These Regulations may be called the Small Industries Development Bank of India (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1990.

(2) They shall apply to Bonds issued and sold by the Small Industries Bank under clause (a) of sub-section (1) of Section 15 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989.

2. Definitions.—In these Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context,

(a) "the Act" means the Small Industries Development Bank of India Act, 1989;

(b) "Bonds" means the Bonds issued and sold by the Small Industries Bank under clause (a) of sub-section (1) of Section 15 of the Act.

(c) "Small Industries Bank" means the Small Industries Development Bank of India established under the Act;

(d) "Defaced Bond" means a Bond which has been made illegible and rendered undecipherable in material parts and the material parts of a Bond are those where :—

(i) the number, the issue to which it appertains and the face value of the Bond, or payment of interest are recorded; or

(ii) the endorsement or the name of the payee is written; or

(iii) the renewal receipt or the memorandum of transfer is supplied;

(e) "Form" means a form as set out in the Schedule to these Regulations;

(f) "Lost Bond" means a Bond which has actually been lost and shall not mean a Bond which is in possession of some person adversely to the claimant;

(g) "Mutilated Bond" means a Bond which has been destroyed, torn or damaged in material parts thereof;

(h) "Office of Issue" means the office of the Small Industries Bank on the books of which a Bond is registered or may be registered;

(i) "Prescribed Officer" means the General Manager or such officers of the Small Industries Bank as may be authorised by the Board of Directors of the Small Industries Bank for the purposes of Regulations 11, 12, 13, 15, 17, 19 and 20;

(j) "Stock Certificate" means a Stock Certificate issued under Regulation 3.

3. Form of the Bond and the mode of transfer thereof, etc.—(1) A Bond may be issued in the form of :—

(a) A promissory note payable to, or to the order of, a certain person; or

(b) Stock registered in the books of the Small Industries Bank for which Stock Certificates are issued.

(2) (a) A Bond issued in the form of a promissary note shall be transferable by endorsement and delivery like a promissory note payable to order.

(b) No writing on a Bond issued in the form of a promissory note shall be valid for the purpose of negotiation if such writing purports to transfer only a part of the amount denominated by the Bond.

(3) A Bond issued in the form of a Stock Certificate and registered in the books of the Small Industries Bank shall be transferable either wholly or in part by execution of an instrument of transfer in Form V. The transferor in such a case shall be deemed to be the holder of the Bonds issued in the form of Stock to which the transfer relates until the name of the transferee is registered by the Small Industries Bank.

(3A) (a) Notwithstanding anything to the contrary herein contained, the Small Industries Bank may at the request of the person entitled to the Bonds, issue Bonds in the form of an entry in an account to be maintained by the Small Industries Bank in the name of the person entitled to the Bonds.

(b) The Bonds may be so issued in the form of an entry in the books of accounts of the Small Industries Bank either initially at the time of subscription to the Bonds or subsequently by conversion of the Bonds issued either in the form of a promissory note or Stock.

(c) If a Bond has already been issued in the form of a promissory note, the Bond holder desirous of holding it in the form of an entry in an account with the Small Industries Bank shall make requisition in Form XI and surrender the Bond duly endorsed in favour of the Small Industries Bank for the Bond being held in the form of an entry in an account in the books of the Small Industries Bank.

(d) If the Bond has been issued in the form of Stock Certificate, the holder shall transfer the Bond in favour of the Small Industries Bank with a request that the Bond may be held in the form of an entry in an account to be maintained by the Small Industries Bank in the name of the holder.

(e) A person holding Bonds in the form of an entry in an account maintained by the Small Industries Bank may have the Bonds transferred or converted in the form of a promissory note or a Stock Certificate by making an application in Form XII.

(f) No fee is chargeable for issuing Bonds in the form of an entry in the account of the books of the Small Industries Bank or converting Bonds already issued either in the form of a promissory note or Stock in the form of an entry in the books of the Small Industries Bank or vice versa.

(g) Bonds issued or held in the form of an entry in the books of the Small Industries Bank shall be transferable by execution of an instrument of transfer in form XIII. The transferor in such cases shall be deemed to be the holder of the Bonds to which the transfer relates till such time the name of the transferee is entered in the books of the Small Industries Bank.

(4) (a) A Bond shall be issued over the signature of the Managing Director or in his absence by an Executive Director and or a General Manager of the Small Industries Bank which may be printed, engraved, lithographed or impressed by such other mechanical process as the Small Industries Bank may direct.

(b) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as if it had been inscribed in the proper handwriting of the signatory himself.

(5) No endorsement of a Bond in the form of a promissory note or no instrument of transfer in the case of a Bond in the form of a Stock Certificate shall be valid unless made by the signature of the holder or his duly constituted attorney or representative inscribed in the case of a Bond in the form of a promissory note on the back of the Bond itself and in the case of a Stock Certificate on the instrument of transfer.

4. Trust not recognised.—(1) The Small Industries Bank shall not be bound or compelled to recognise in any way, even when having notice thereof, any trust or any right in respect of a Bond other than an absolute right thereto in the holder.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1), the Small Industries Bank may, as an act of grace and without liability to the Small Industries Bank, record in its books such directions by the holder of a Bond issued in the form of Stock for the payment of interest on, or of the maturity value of, or the transfer of or such matters relating to the Stock as the Small Industries Bank thinks fit.

5. Provision for holding Bonds issued in the form of the Stock Certificate by trustees and office holders.—(1) A Bond in the form of Stock Certificate may be held by a holder of an office—

(a) in his personal name, described in the books of the Small Industries Bank and in the Stock Certificate as a trustee whether as a trustee of the trust specified in his application or as a trustee without any such qualification; or

(b) by the name of his office.

(2) On an application made in writing to the Small Industries Bank in the form required by the Small Industries Bank the person in whose name a Bond stands and on surrender of the Bond, the Small Industries Bank may—

(a) make an entry in its books describing him as a trustee of a specified trust or as a trustee without specification of any trust and issue a Stock Certificate in his name described as trustee with or without the specification of the trust as the case may be; or

(b) issue a Stock Certificate to him by the name of his office and make an entry in its books describing him as the holder of the Stock by the name of his office, according to the applicant's request provided—

(i) the request is in conformity with the provisions of sub-regulation (1) hereof;

(ii) the necessary evidence required by the Small Industries Bank in terms of sub-regulation (7) has been furnished; and

(iii) the Bond, if it is in the form of promissory note, has been endorsed in favour of the Small Industries Bank and if in the form of Stock Certificate, has been receipted by the registered holder in Form X.

(3) The Stock Certificate under sub-regulation (1) may be held by the holder of the office either alone or jointly with another person or persons or with a person or persons holding an office.

(4) When the Stock is held by a person in the name of his office, any documents relating to the Stock Certificate concerned may be executed by the person for the time being holding the office by the name in which the Stock Certificate is held as if his personal name were so stated.

(5) Where any transfer deed, power of attorney or other document purporting to be executed by a Stock Certificate holder described in the books of the Small Industries Bank as a trustee or as a holder of an office is produced to the Small Industries Bank, the Small Industries Bank shall not be concerned to inquire whether the Stock-holder is entitled under the terms of any trust or document or rules to give any such power or to execute such deed or other document and may act on the transfer deed, power of attorney or document in the same manner as though the executant is a Stock Certificate holder and whether the Stock Certificate holder is or is not described in the transfer deed, power of attorney or document as a trustee or as a holder of an office and whether he does or does not purport to execute the transfer deed, power of attorney or document in his capacity as a trustee or as a holder of the office.

(6) Nothing in these Regulations shall, as between any trustees or office holder and the beneficiaries, under a trust or any document or rules, be deemed to authorise the trustees or office holders to act otherwise than in accordance with the rules of law applying to trust the terms of the instrument constituting the trust, or the rules governing the association of which the Stock Certificate holder is a holder of an office and neither the Small Industries

Bank nor any person holding or acquiring any interest in any Stock Certificate shall by reason only of any entry in any register maintained by the Small Industries Bank in relation to any Stock Certificate or any Stock Certificate holder or of anything in any document relating to Stock Certificate be affected with notice of any trust or of the fiduciary character of any Stock Certificate holder or of any fiduciary obligation attaching to the holding of any Stock Certificate.

(7) Before acting on any application made, or on any document purporting to be executed, in pursuance of this Regulation by a person as being the holder of any office, the Small Industries Bank may require the production of evidence that such person is the holder for the time being of that office.

6. Provision for holding of bonds issued in the form of promissory notes by trust|trustee(s) :—(1) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (1) of Regulation 4, the Small Industries Bank may, at the request of the applicant and without liability to the Small Industries Bank, issue a Bond in the form of promissory note in the name of a specified trust or trustee(s) of that trust, or as the case may be, in the personal name of the applicant, describing him as a trustee, whether as a trustee of the trust specified in his application or as a trustee without such specifications.

(2) Where a Bond in the form of promissory note stands in the personal name of the holder, the Small Industries Bank may, on an application made by him in the form required by the Small Industries Bank and on surrender of such Bond, issue a renewed Bond in the form of a promissory note in the manner laid down in sub-regulation (1) hereof provided that—

(i) the necessary evidence required by the Small Industries Bank in terms of sub-regulation (6) hereof has been furnished; and

(ii) the Bond has been endorsed in favour of the Small Industries Bank.

(3) The Bond under sub-regulation (1) may be held by a trustee of any trust either alone or jointly with another person or persons as trustees of that trust.

(4) Where a Bond in the form of promissory note purports to have been endorsed by the Bond holder as a trustee, or where any power of attorney or other document purporting to be executed by the Bond holder is produced to the Small Industries Bank, the Small Industries Bank shall not be concerned to enquire whether the Bond holder is entitled under the terms of any trust or document or rules to make such endorsement or execute such power of attorney or other document, and may act on the endorsement, power of attorney or document in the same manner as though such endorser is a Bond holder and whether the Bond holder is or is not described in the endorsement, power of attorney or document as a trustee, and whether he does or does not purport to make endorsement or execute the power of attorney or document in his capacity as a trustee.

(5) Nothing in these regulations shall, as between a any trustees and the beneficiaries under a trust or any document or rules, be deemed to authorise the trustees to act otherwise than in accordance with the rules of law applying to trust or the terms of the instrument constituting the trust.

(6) Before acting on any application made, in pursuance of this regulation by a person as being the trustee of any trust, the Small Industries Bank may require the production of evidence that such person is the trustee for the time being of that trust.

7. Persons disqualified to be holders:—No minor and no person who has been found by a competent court to be of unsound mind shall be entitled to be a holder of Bonds.

8. Payment of Interest:—(1) Interest on a Bond in the form of a promissory note shall be paid by the Office of Issue or any other office of the Small Industries Bank specified in the Bond Prospectus subject to compliance by the holder of the Bond with such formalities as the Small Industries Bank may require, and on presentation of the Bond.

(2) Interest on a Bond in the form of Stock Certificate shall be paid by issue of warrants crossed account payee or in such other manner as may be decided by the Small Industries Bank. The presentation of the Stock Certificate shall not be required at the time of payment of interest but the payee shall acknowledge the receipt at the back of the warrant.

(3) Interest on a Bond held in the form of an entry in the books of the Small Industries Bank shall be paid by the Small Industries Bank by issue of warrants crossed account payee or in such other manner as may be decided by the Small Industries Bank.

9. Procedure where Bond in the form of a promissory note is lost, etc. :—(1) Every application for the issue of a duplicate Bond in place of a Bond which is alleged to have been Lost, Stolen, Destroyed, or Mutilated or Defaced, either wholly or in part shall be addressed to the Office of Issue, and shall contain the following particulars, namely :—

(a) Bond No.....for Rs.....of thepercent Small Industries Development Bank of India Bonds,..... (year)

(b) Last half-year for which interest has been paid;

(c) The person to whom such interest was paid;

(d) The person in whose name Bond was issued (if known);

(e) The circumstances attending the Loss, Theft, Destruction, Mutilation or Defacement; and

(f) Whether the Loss or Theft was reported to the police.

(2) Such application shall be accompanied by:—

(a) where the Bond was lost in the course of transmission by registered post, the Post Office registration receipt for the letter containing the Bond;

(b) a copy of the police report, if the Loss or theft was reported to the police;

(c) if the applicant is not he registered holder, an affidavit sworn before a magistrate testifying that the applicant was the last legal holder of the Bond, and all documentary evidence necessary to trace back the title to the registered holder; and

(d) any portion or fragments which may remain of the Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced bond.

10. Notification in Gazette :—The Loss, Theft, Destruction, Mutilation or Defacement of a Bond or portion of a Bond in the form of a promissory note shall forthwith be notified by the applicant in three successive issues of the Gazette of India and of the local official Gazette, if any, of the place where the Loss, Theft, Destruction, Mutilation or Defacement occurred. Such notification shall be in the following form or as nearly in such form as circumstances permit :—

"The Small Industries Development of India Bond No.....of the.....per cent Bond....., for Rs.....originally standing in the name of..and last endorsed to..... the proprietor, by whom it was never endorsed to any other person having been *Lost|Stolen|Destroyed| Mutilated|Defaced, notice is hereby given that payment of the above Bond and the interest thereupon has been stopped at the Office of Issue, and that application is about to be made or has been made for the issue of a duplicate in favour of the proprietor. The public are cautioned against purchasing or otherwise dealing with the above-mentioned Bond.

Name of the person notifying———————
Residence———————— "

*Delete whichever is not applicable

11. Issue of duplicate Bond and taking of indemnity :—(1) After the publication of the last notification prescribed in Regulation 10, the Prescribed Officer shall if he is satisfied of the Loss, Theft Destruction, Mutilation or Defacement of the Bond and of the justice of the claim of the applicant, cause the particulars of the Bond to be included in a list published under Regulation 13, and shall order the Office of Issue—

(a) if only a portion of the Bond has been Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced, and if a portion thereof sufficient for its identification has been produced, to pay interest and to issue to the applicant, on execution of an Indemnity such as is hereinafter mentioned a duplicate Bond in place of that of which a portion has been so Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced either immediately after the publication of the list under Regulation 13 or on the expiry of such period as the Prescribed Officer may consider necessary from the date of the publication of the said list;

(b) if no portion of the Bond so Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced, sufficient for its identification has been produced —

(i) to pay to the applicant, two years after the publication of the said list, and on the execution of an indemnity in the manner hereinafter prescribed, the interest in respect of the Bond so Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced till the expiry of the next period of four years next as hereinafter provided; and

(ii) to issue to the applicant a duplicate Bond in place of the Bond so Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated for Defaced four years after the date of publication of the said list, provided that :—

(I) if the date on which the Bond is due for repayment falls earlier than the date on which the said period of four years expires, the Prescribed Officer shall, within six weeks of the former date, invest the principal amount due on the Bond in the Post Office Savings Bank, and shall repay this amount, together with any interest which may have accrued thereon in such Bank, to the applicant at the time when a duplicate Bond would otherwise have been issued, and

(II) if at any time before the issue of the duplicate Bond the original Bond is discovered or it appears to the Officer of Issue for other reasons that the order should be rescinded, the matter shall be referred to the Prescribed Officer for further consideration and in the meantime all action on the order shall be suspended. An order passed under this sub-regulation shall, on expiry of the period of four years referred to therein, become final unless it is in the meantime rescined or otherwise modified.

(2) The Prescribed Officer may, at any time prior to the issue of a duplicate Bond, if he finds sufficient reason, alter or cancel any order made by him under this regulation and may also direct that the interval before the issue of a duplicate Bond shall be extended by such period not exceeding four years as he may think fit.

(3) Indemnities —

(a) (i) when executed under sub-regulation (1)(a) shall before twice the amount of interest involved, that is to say, twice the amount of all back interest accrued due on the Bond plus twice the amount of all interest to accrue due thereon during the period which will have to elapse before

the issue of a duplicate Bond can be made, and

(ii) in all other cases shall be for twice the face value of the Bond plus twice the amount of interest calculated in accordance with clause (i).

(b) the Prescribed Officer may direct that such indemnity shall be executed by the applicant alone or by the applicant and one or two sureties approved by him as he may think fit.

12. Procedure when a Bond in form of a Stock Certificate is lost, etc. :—(1) Every application for the issue of a duplicate Stock Certificate in place of a Stock Certificate which is alleged to have been Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced either wholly or in part shall be addressed to the Office of Issue and shall be accompanied by —

(a) the Post Office registration receipt of the letter containing the Stock Certificate, if the same was lost in transmission by registered post;

(b) a copy of the police report, if the Loss or Theft was reported to the police;

(c) affidavit sworn before a Magistrate testifying that the applicant is the legal holder of the Stock Certificate and that the Stock Certificate is neither in his possession nor has it been transferred pledged or otherwise dealt with by him; and

(d) any portions or fragments which may remain of the Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced Stock Certificate.

(2) The circumstances attending the loss shall be stated in the application.

(3) The Prescribed Officer shall, if he is statisfied of the Loss, Theft, Destruction, Multilation or Defacement of the Stock Certificate, direct the issue of a duplicate Stock Certificate in lieu of the original Certificate.

13. Publication of list: (1) The list referred to in Regulation 11 shall be published half-yearly in the Gazette of India in the months of January and July or as soon afterwards as may be convenient.

(2) All Bonds in respect of which an order has been passed under Regulation 11 shall be included in the first list published next after the passing of such order and thereafter such Bonds shall continue to be included in every succeeding list until the expiration of four years from the date of first publication.

(3) The list shall contain the following particulars regarding each Bond included therein, namely, the name of the issue, the number of the Bond, its value, the name of the person to whom it was issued, the date from which it bear interest, the name of the applicant for a duplicate, the number and date of the order passed by the Prescribed Officer for payment of interest or issue of a duplicate, and the date of publication of the list in which the Bond was first included.

14. Discretion of the Small Industries Bank :— Notwithstanding anything contained in Regulations 10, 11, 12 and 13, where the Small Industries Bank deems fit, in any case, it shall be lawful for the Small Industries Bank in its absolute discretion to dispense with the procedure prescribed therein regarding the issue of duplicate Bond and issue duplicate Bond upon such terms as to indemnity or otherwise, as it may deem fit.

15. Determination of a mutilated Bond as a Bond requiring issue of duplicate :—It shall be at the option of the Prescribed Officer to treat a Bond which has been Mutilated or Defaced as a Bond requiring issue of a duplicate under Regulation 11 or a mere renewal under Regulation 19.

16. When a Bond in the form of promissory note may be required to be renewed :—(1) A holder of a Bond in the form of a promissory note may be required by the Office of Issue to receipt the same for renewal in any of the following cases, namely—

(a) if only sufficient room remains on the back of the Bond for one further endorsement or if any word is written upon the Bond across the existing endorsement or endorsements;

(b) if the Bond is torn or in any way damaged or crowded with writing or unfit, in the opinion of the Office of Issue;

(c) if any endorsement is not clear and distinct or does not indicate the payee or payees, as the case may be, by name or is made otherwise than in one of the endorsement cages on the back of the Bond;

(d) if the interest on the Bond has remained undrawn for ten years or more;

(e) if the interest cages on the reverse of the Bond have been completely filled or if the vacant printed cages on the reverse of the Bond do not correspond with the half-years for which interest has become due on the date when the Bond is presented for drawal of interest;

(f) if the Bond having been enfaced three times for payment of interest is presented for re-enfacement; and

(g) if in the opinion of the Office of Issue, the title of the person presenting the Bond for payment of interest is irregular or not fully provided

(2) When requisition for renewal of a Bond has been made under sub-regulation (1) payment of any further interest thereon shall be refused until it is receipted for renewal and actually renewed.

17. Person whose title to a Bond of a deceased sole holder may be recognised:—(1) The executors or administrators of a deceased sole holder of a Bond (whether a Hindu, Mohammedan, Parsi or otherwise) or the holder of a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) in respect of the Bond shall be the only persons who may be recognised by the Office of Issue (subject to any general or special instructions of the Prescribed Officer) as having any title to the Bond.

(2) Notwithstanding anything contained in Section 45 of Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), in the case of a Bond issued, sold or held payable to two or more holders, the survivor or survivors and on the death of the last survivor, his executors, administrators, or any person who is the holder of a sucession certificate in respect of such Bond shall be the only person who may be recognised by the Office of Issue (subject to any general or special instructions of the Prescribed Officer) as having any title to the Bond.

(3) The Office of Issue shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration, as the case may be, from a competent court or office in India.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1), (2) and (3), where the Prescribed Officer in his absolute discretion thinks fit, in any case, it shall be lawful for him to dispense with the production of probate or letters of administration or other legal representation upon such terms as to indemnity or otherwise, as he may think fit.

18. Nomination:—(1) Notwithstanding anything contained in Regulation 17, where a Bond is held by one or more persons, the sole holder or, as the case may be, all the holders together may nominate any person or persons to whom, in the event of the death of the sole holder or the death of all the holders, the amount due on the Bond may be paid.

Provided that when a Bond is held by two or more persons, the nominee shall become entitled to receive the amount only on the death of all the holders.

Provided further that nothing contained in this Regulation shall affect any claim which any representative of a deceased holder of a Bond may have against the nominee in respect of any amount due on the Bond.

(2) If two or more persons are nominated under sub-regulation (1), the amount due on the Bond shall be distributed amongst the nominees in the manner specified in the nomination, and in the absence of such specification, the amount shall be distributed equally among all the nominees.

Provided, however, that if no nomination subsists or, if such nomination relates only to a part of the amount due, the whole amount or part thereof to which the nomination does not relate, shall be paid to the persons who may be entitled thereto under sub-regulation (2) of Regulation 17.

(3) A nomination under sub-regulation (1) may be made by the sole holder or, as the case may be, all the holders together in Form XV.

(4) A nomination may be made only in respect of a Bond which is held in the individual capacity of the holder and not in any representative capacity as the holder of an office or otherwise.

(5) Where the nominee is a minor, the sole holder or as the case may be, all the holdyers together may appoint any person (not being a minor) to receive the amount due on the Bond during the minority of the nominee.

(6) Where a Bond is held in the name of a minor, the nomination, if any, shall be made by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

(7) A nomination may be substituted by submitting an application in Form XV or cancelled by submitting an application in Form XVI, together with the Bond, to the Small Industries Development Bank of India.

(8) A nomination or a substitution or a cancellation of a nomination shall be registered in the books of the Small Industries Bank and the fact of registration shall be noted on the Bond and, on such registration the said nomination, cancellation or substitution, as the case may be, shall be deemed to be effective from the date on which it was submitted.

(9) The rights, which a nominee has acquired in relation to the Bond under a nomination duly made and registered under this Regulation, shall not be affected by reason of the issue of a duplicate Bond and the nominee shall have the same rights in relation to the duplicate Bond as he had in relation to the original Bond.

19. Receipt for renewal; etc:—(1) Subject to any general or special instructions of the Prescribed Officer, the Office of Issue may, by its order, on the application of the holder —

(a) on his delivering the Bond or Bonds in the farm of promissary note or notes and on his satisfying the Office of Issue regarding the justice of his claim, renew, sub-divide or consolidate the note or notes provided the note or notes has or have been receipted in Form I, II or III, as the case may be; or

(b) convert the note or notes into a Stock certificate or Stock Certificates provided the note or notes has or have been endorsed as follows —

"Pay to the Small Industries Development Bank of India"; or

(c) renew, sub-divide or consolidate a Stock Certificate or Stock Certificates provided the Stock Certificate or Stock Certificates has or have been receipted in Form VI, VII or VIII, as the case may be; or

(d) convert the Stock Certificate or Stock Certificates into promissory note or notes

provided the Stock certificate or Stock Certificates has or have been receipted in Form IX, or

(c) convert the Bonds of one series into those of another provided—

(i) inter series conversion is permissible; and

(ii) the conditions governing such conversion are complied with.

(2) The Office of Issue may, under the orders of Prescribed Officer, require the applicant for renewal, sub-division or consolidation of a Bond under the sub-regulation (1) to executive an indemnity in Form IV with one or more sureties approved by him.

20. Renewal of Bond in case of dispute as to title:—Where there is a dispute as to the title to a Bond in respect of which an application for renewal has been made, the Prescribed Officer may :—

(a) where any party to the dispute has obtained a final decision from a court of competent jurisdiction declaring him to be entitled to such Bond, issue a renewed Bond in favour of such party ,or

(b) refuse to renew the Bond until such a decision has been obtained.

EXPLANATION :

For the purposes of this Regulation, the expression "final decision" means a decision which is not appealable or a decision which is appealable but against which no appeal has been filed within the period of limitation allowed by law.

21. Liability in respect of Bond renewed, etc :— When a duplicate Bond has been issued under Regulation 11 or a renewed Bond has been issued or a new Bond has been issued upon sub-division or consolidation under Regulation 19, in favour of a person, the Bond so issued shall be deemed to constitute a new contract between the Small Industries Bank and such person and all persons deriving title thereafter through him.

22. Discharge

The Small Industries Bank shall be discharged from all liability in respect of the Bond or Bonds paid on maturity or in pace of which a duplicate, renewed, sub-divided or consolidated Bond or Bonds has or have been issued—

(a) in the case of payment, after the lapse of four years from the date on which payment was due;

(b) in the case of a duplicate Bond after the lapse of four years from the date of the publication under Regulation 13 of the list in which the Bond is first mentioned, or from the date of the payment of interest on the original Bond, referred to in Regulation 11 whichever date is later;

(c) in the case of a renewed Bond or of a new Bond issued upon sub-division or consolidation after the lapse of four years from the date of issue thereof.

23. Discharge in respect of interest :—Save as otherwise expressly provided in the terms of the Bond, no person shall be entitled to claim interest on any such Bond in respect of any period which has elapsed after the earliest date on which demand could have been made for the payment of the amount due on such Bond.

24. Discharge of a Bond :—(a) When a Bond held in the form of promissory note or Stock Certificate becomes due for payment or principal, it shall be presented at the office of the Small Industries Bank at which interest thereon is payable or at the Office of Issue duly signed by the holder to its reverse;

(b) When a Bond in the form of an entry in the account becomes due for payment of principal, a duly signed receipt in Form XIV shall be furnished by the holder to the Office of Issue.

25. Exercise of Powers on behalf of the Small Industries Bank:— The powers exercisable by the Small Industries Bank under Regulations 4(2), 5(2), 5(7), 6(6) and 8(1) may be exercised on behalf of the Small Industries Bank by the Managing Director and in his absence by an Executive Director and/or a General Manager of the Small Industries Bank.

THE SCHEDULE

FORM I [See Regulation 19 (1) (a)]

Form of endorsement for renewal of a Bond in the form of a Promissory Note

Received in lieu hereof, a renewed Note Payable to with interest payable by
(name of holder)

the small Industries Development Bank of India,
(place)

Signature of the holder duly authorised representative of

.....
(name of holder)

FORM II [See Regulation 19(1)(a)]

Form of endorsement for sub-division of a Bond in the form of a Promissory Note

Received in lieu hereof

Notes for Rs.

payable to. respectively,
(name of holder)

the Small Industries Development Bank of India, with interest payable by
(place)

Signature of the holder duly authorised representative of

.....
(name of holder)

FORM III [See Regulation 19(2)]

Form of application for consolidation of Bonds in the form of Promissory Note

Request for issue of a new Note Payable to.....for Rs.....
(name of holder)

by consolidation of Note or Notes No.(s).....[mentioning the number(s) and amount(s) of the other Note(s) desired to be consolidated with it and specifying the issue] with interest payable by the Small Industries Development Bank of India,
(place)

Signature of the holder/duly authorised representative of
.....
(name of holder)

FORM-IV [See Regulation 19(2)]

Know all men by these presents that we
(name of principal)
Son ofResident of
and..... Son
(Surety No 1)
of.....Resident of.....
and.....Son of.....
(Surety No. 2)
Resident ofhereby bind ourselves and each of us, our and each of our heirs, executors, administrators and representatives and all of them jointly and severally to the Small Industries Development Bank of India as established under the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (hereinafter called "the said Small Industries Bank") for payment of the sum of Rs.....to the said Small Industries Bank, its certain attorneys, successors and assigns.

AND I each of us the said
(name of Principal and Name of Surety/Sureties)
.....hereby covenant with the said Small Industries Bank that if any suit shall be brought touching the subject matter of this obligation or the condition hereunder written in any Court subordinate to the High Court of Judicature at Lucknow/Bombay, the same may, at the instance of the said Small Industries Bank, whoever may be a party to such suit be removed unto, tried and determined by any of the said High Courts in its extraordinary original civil jurisdiction at Lucknow/Bombay.

WHEREAS THE said has
(name of Principal)
applied to the said Small Industries Bank, for the renewal/consolidation/sub-division of Bond(s) issued by the said Small Industries Bank mentioned in the schedule hereto.

AND WHEREAS the said Small Industries Bank has consented and agreed to accept the said application on the said.....
.....with two good and sufficient sureties entering into and executing the above
(name of Principal)
written Bond subject to the condition hereunder written :

AND WHEREAS the above bounden
(name of Surety/Sureties)
at the request of the said
(name of Principal)
has/have agreed to become surety/sureties for.....
(name of Principal)
and to join with the said.....
(name of Principal)
in executing the above written bond.

Now the condition of the above written bond is such that if the above bounden.....
(name of Principal)
andor each of them or their heirs, executors, administrators or
(name of Surety/Sureties)
representatives or any or either of them shall from time to time and at all times hereafter effectually save, defend, keep harmless and indemnified the said Small Industries Bank from and against the claims and demands of all persons claiming to be entitled to the Bond(s) issued by the said Small Industries Bank mentioned in the schedules hereto or to any interest thereon and of other persons whomsoever in respect of the said Bond(s) or the renewal thereof or the payment of interest thereon and from and against all damages, losses, costs, charges and expenses which the said Small Industries Bank may sustain, incur or be liable to for or in consequence of any such claim or demand or by reason of the issue of renewed Bond(s) as aforesaid or the payment of any interest due on the said Bond(s) or renewed Bond(s) then the above written bond shall be void but otherwise the same shall remain in full force and effect.

Signed and delivered by
(name of Principal)

in the presence ofand of.....

Date :

The Schedule herein referred to

Nature and description of the Bond	Number	Date of Issue	Amount

FORM V [See Regulation 3(3)]

Form of Transfer

I/We(name of holder(s))..... do hereby assign and transfer my/our interest or share in the inscribed Stock of the.....per cent Small Industries Development Bank of India Bonds,.....(year).....amounting to Rs.....being the amount/a portion of the Stock for Rs.....as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon unto.....(name of transferee(s))..... his/her/their executors, administrators or assigns, and I/We.....(name of holder(s))..... do freely accept the above Stock transferred to the extent it has been transferred to me/us.

I/We(name of transferee(s))..... hereby request that on my/our being registered as the holder(s) of the Stock hereby transferred to me/us the aforesaid Stock Certificate to the extent it has been transferred to me/us may be renewed in my/our name(s) converted in my/our name(s)

*I/We.....(name of holder(s))..... hereby request that on the above transferee(s) being registered as the holder(s) of the Stock hereby transferred to him/them the aforesaid Stock Certificate to the extent it has not been transferred to him/them may be renewed in my/our name(s).

As witness our hand theday ofone thousand nine hundred and.....signed by the above named transferor in the presence of **.....

..... (Transferor)

Address :

(Transferee)

Address :

Signed by the above named transferee in the presence of **

*This paragraph is to be used only when a portion of a certificate is transferred.

**Signature, occupation and address of witness.

FORM VI [See Regulation 19(1)(c)]

Form of endorsement for renewal of Stock Certificate

Received in lieu hereof a renewed Stock Certificate of theper cent Small Industries Development Bank of India Bond,.....(year).....for Rs..... in the.....name ofwith interest payable by the Small Industries Development Bank of India,(place).....

Signature of the registered holder/ duly authorised representative

.....

(name of registered holder)

FORM VII [See Regulation 19(1)(c)]

Form of endorsement for sub-division of a Stock Certificate

Received in lieu of this Stock Certificate No.....,Stock Certificates for Rs.respectively of theper cent Small Industries Development Bank of India Bonds,(year).....with interest payable by the Small Industries Development Bank of India,(place).....

Signature of the registered holder/ duly authorised representative

.....

(name of registered holder)

FORM VIII [See Regulation 19(1)(c)]

Form of endorsement for consolidation of Stock Certificates

Received in lieu of Stock Certificate Nos.....for Rs.....,
respectively of theper cent Small Industries Development Bank of India Bonds,.....
(year)
a Stock Certificate for Rs.of theper cent
Small Industries Development Bank of India Bonds,with interest payable by the
(years)
Small Industries Development Bank of India,
(place)

Signature of the registered holder/
duly authorised representative
.....
(name of registered holder)

FORM IX [See Regulation 19(1)(d)]

Form of endorsement for conversion of Stock Certificates into Promissory Notes

Received in lieu of this Stock CertificatePromissory
Notes of Rs.each together with a new Stock
Certificate for the balance amounting to Rs.....with interest
payable by the Small Industries Development Bank of India,
(place)

Signature of the registered holder/
duly authorised representative
.....
(name of registered holder)

FORM X [See Regulation 5(2)(b)(iii)]

Form of receipt for renewal of a Bond issued in the form of Stock Certificate

Received in lieu hereof a renewed Stock Certificate of the..... per cent Small
Industries Development Bank of India Bonds,.....for Rs.
(year)
in favour ofwith interest payable by the Small Industries
Development Bank of India,
(place)

.....
(Signature of registered holder)

FORM XI [See Regulation 3(3A)(c)]

Requisition for conversation of Bond in the form of Promissory Note into an entry in the account with the Small Industries Bank

To :
Manager,
Bonds Section,
Small Industries Development Bank of India,
Bombay/Lucknow.

Date.....19.....

Dear Sir,

Re :% Small Industries Development Bank of India Bonds.....(.....Series)

We hereby declare that the Small Industries Development Bank of India Bonds issued in the form of Promissory Note(s) of the aggregate face value of Rs.....listed on the reverse is/are our property and request that we may please be allowed to hold the same in the form of an entry in the account to be maintained by the Small Industries Bank in our name for which purpose we are surrendering herewith the relevant bond scrips duly endorsed in favour of the Small Industries Bank. The name, designation and specimen signature(s) of the person(s), who has/have been authorised to operate the account are as per details given on the reverse.

In this connection, we are enclosing hereto deed of indemnity in your favour, duly stamped and executed on our behalf as per your draft.

We request you to kindly send to us in due course certificate of holding of bonds in form of an account with the Small Industries Bank and periodic statement of our holding at the address given above.

In the meanwhile please acknowledge receipt.

Yours faithfully,
Signature(s) of the registered holder(s)/
or his duly authorised representative
.....
Name(s) of registered holder(s)

LIST OF BOND SCRIPS ENCLOSED HERETO

Promissory Note(s) in denomination(s) as stated below :

1. Bond Scrip No. dated for Rs. (..... Series).
2. Bond Scrip No. dated for Rs. (..... Series).
3. Bond Scrip No. dated for Rs. (..... Series).

Aggregate face value of the Bond Scrips Rs.

Specimen Signature(s) Singly/Jointly/Either or Survivor

Name. 1. Designation
2. Designation

Address

Telephone : Telex :

Enclosed (i) Bond Scrips for aggregate value of Rs.
(ii) Deed of Indemnity.

FORM XII [See Regulation 3(3A)(e)]

Requisition for issue of Bond scrips in lieu of the Bonds held in the form of entry in the account with the Small Industries Bank

To :
Manager,
Bonds Section,
Small Industries Development Bank of India,
Bombay/Lucknow.

Dear Sir,

Re : % Small Industries Development Bank of India Bond (..... Series)

We are forwarding herewith the certificate of holding issued by the Small Industries Development Bank of India in respect of the Bonds held by us in the form of an entry in the account maintained by the Small Industries Development Bank of India.

We request that our Bond holdings may please be converted and transferred in the form of promissory note(s), as per details given on the reverse.

We request that Bond Scrips in this regard may please be forwarded to us by registered post at our address given above, alongwith the fresh certificate of holding in respect of the balance amount of the Bonds that are continued to be held in the form of an entry in the account maintained by the Small Industries Development Bank of India.

In the meanwhile please acknowledge receipt.

Yours faithfully,
Signature(s) of the registered holder(s)/or his duly authorised representative
Name(s) of the registered holder(s)
Details of exisiting certificates of holding and requirement of promissory notes.

1. Certificate of Holding No. dated Rs. (..... Series)
2. Certificate of Holding No. dated Rs. (..... Series)
3. Certificate of Holding No. dated Rs. (..... Series)

Aggregate face value of Bonds Rs. of which, please arrange to issue Bond Scrips in denominations as stated below :

Denominations	Number	Aggregate face value
(1) Rs. 1,000 each ×		= Rs.
(2) Rs. 10,000 each ×		= Rs.

Total Scrips of the aggregate Face Value of Rs.

We request that the balance amount of the Bonds may continue to be held in the form of an entry in the account maintained by the Small Industries Development Bank of India.

IndiaCode

FORM XIII [See Regulation 3(3A)(g)]

Form of transfer of Bonds in the form of an entry in the account with the Small Industries Bank

We, as the holder(s) of the Bonds in the form of an entry in an account with the Small Industries Development Bank of India do hereby assign and transfer our holding to the extent of Rs..... being the entire/portion of our Bond holding together with accrued interest thereon upto.....to and in favour of

We,..... do freely accept the transfer of the above Bonds to our name.

Witness our hand this.....day of..... 19

Signed by the above named (Seller)

in the presence of.....

Signed by the above named..... (Buyer)

in the presence of

Note : To be stamped in accordance with Article 62(c) of the Indian Stamp Act, 1899 (as amended by the Local Stamp Act of the State in which it is executed).

FORM XIV [See Regulation 24(b)]

Form of discharge for the Bonds held in the form of entry in the account with the Small Industries Bank

To :
Manager,
Bonds Section,
Small Industries Development Bank of India,
Bombay/Lucknow.

Dear Sir,

Re :----------% Small Industries Development Bank of India Bond(s).....(.....Series)

Received the principal amount with accrued interest on the date of maturity on the Captioned Bond(s) of the nominal face value of Rs.(Rupeesonly) held in form of an entry in the books of the Small Industries Development Bank of India to the credit of(bond holder). It is certified that the nominal amount of the Bond(s) and the accrued interest as on date of maturity agree with my/our books.

Yours faithfully,
Signature(s) of the registered
holder(s)/or his duly authorised
representative
Name(s) of registered holder(s).....
Date :
Place :

FORM XV [See Regulation 18]

Form of nomination—substitution of nomination

1. I/We,nominate the following
[Name(s) of the holder(s)]
person(s) to whom, in the event of my/our/minor holder's death, the amount due on the Bonds specified below may be paid:

BONDS

Sr. No.	Description	Distinctive Number	Date of Issue	Face Value
1.				
2.				
3.				

NOMINEE(S)

Name	Address	Date of Birth (if the nominee is a minor)	Percentage of amount payable @
1.			
2.			
3.			

2. *As the nominee(s) at serial No.(s)above is/are minor(s), I appoint Shri/Smt./Kumari as the
(Name and Full address)
person to receive the amount due thereon in the event of my/our/minor holder's death during the minority of such nominee(s).

3. **This nomination is in substitution of the nomination dated.....made by me/us and registered in the books of the Small Industries Development Bank of India on which shall stand cancelled on registration of this nomination.

***(Signature of the holder)

Signatures and address of witnesses :

1.

2.

Place :

Date :

@ Indicate in this column the percentage of total amount payable to each nominee.

* Strike out this paragraph when the nomination is not in favour of a minor.

** Strike out this paragraph when the nomination is not in substitution of one already made.

*** If a Bond is held in the name of a minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

FORM XVI [See Regulation 18(7)]

Form of cancellation of nomination

I/We.....do hereby cancel the nomination dated.....made by me/us in respect of the Bonds specified below and registered on.....

[Name(s) of the holder(s)]

Sr. No.	Description	Distinctive Number	Date of Issue	Face Value
1.				
2.				
3.				

Place :
Date :

*(Signature of the holder)

.....
(Name of the holder)

Signatures and address of witnessess :

1.

2.

* If the Bond is held in the name of a minor, the cancellation of nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

(R. S. AGRAWAL,)
Managing Director.

FOOT NOTE : Certified that Industrial Development Bank of India have given approval to Small Industries Development Bank of India (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1990 vide their letter dt. June 21, 1990.

Manager (Legal)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991

IndiaCode